न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, कक्ष संख्या–1, कासगंज
पीठासीन अधिकारी–अनुतोष कुमार शर्मा (एच0जे0एस0)
जे0 ओ0 कोड यू0पी0 06218

CNR NO-UPKR010019862024
निर्णय तिथिः–11.08.2026
सत्र वाद संख्या––567 सन् 2024
राज्य बनाम किताब सिंह आदि
मुकदमा अपराध संख्या–185 सन् 2023
धारा– 307/34, 504 भारतीय दण्ड संहिता
व धारा 3/25 आयुध अधिनियम
थाना–सिकन्दरपुर वैश्य, जिला कासगंज

शिकायतकर्ता– श्री रामवीर

प्रस्तुतकर्ता–श्री संदीप मिश्रा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता 'फौजदारी'

अभियुक्त– किताब सिंह एवं रामनिवास

प्रस्तुतकर्ता– डॉ. अंकित मिश्रा एवं श्री नरेन्द्र सिंह, अधिवक्तागण

घटना की तिथि	22.12.2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	22.12.2023
आरोपपत्र प्रस्तुत करने की तिथि	15.03.2024
आरोप विरचित करने की तिथि	05.08.2024
साक्ष्य प्रारम्भ करने की तिथि	12.08.2024
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	30.07.2026
निर्णय की तिथि	11.08.2026
दण्डादेश की तिथि, यदि कोई हो	12.08.2026

अभियुक्त का विवरण

अभि0 की रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर रिहा होने की तिथि	आरोपित आरोप	दोषसिद्धि या दोषमुक्त	दण्डादेश	धारा– 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजन के लिये विचारण के दौरान की गयी निरोध की अवधि
	1. किताब सिंह	17.01.2024	05.10.2024	धारा–307/34, 504 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 3/25 आयुध अधिनियम	दोषसिद्धि अंतर्गत धारा–307/34 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एवं दोषमुक्ति अंतर्गत धारा–504 भारतीय दण्ड संहिता	अन्तर्गत धारा 307/34 भा.दं.सं. में दण्डनीय अपराध के लिये 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/– रुपये (दस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा एवं अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम में दण्डनीय अपराध के लिये 5 वर्ष के साधारण कारावास एवं	08 माह 19 दिन

Digitally signed by ANUTOSH KUMAR SHARMA
Date: 2026.08.11 16:49:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

						5,000/– रुपये (पाँच हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।	
	2. रामनिवास	23.12. 2023	02.05. 2024	धारा– 307/34, 504 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 3/25 आयुध अधिनियम	दोषसिद्धि अंतर्गत धारा– 307/34 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एवं दोषमुक्ति अंतर्गत धारा– 504 भारतीय दण्ड संहिता	अन्तर्गत धारा 307/34 भा.दं.सं. में दण्डनीय अपराध के लिये 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/– रुपये (दस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा एवं अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम में दण्डनीय अपराध के लिये 5 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5,000/– रुपये (पाँच हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।	04 माह 10 दिन

अभियोजन/बचाव/अदालत के गवाहो की सूची

अ. अभियोजन के गवाह

पद	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंचनामा साक्षी, अन्य
	पी.डब्लू.–1 रामवीर	शिकायतकर्ता
	पी.डब्लू.–2 बाबूराम	चक्षुदर्शी साक्षी
	पी.डब्लू.–3 ओमवती	चक्षुदर्शी साक्षी
	पी.डब्लू.–4 विनीता	चक्षुदर्शी साक्षी
डॉक्टर	पी.डब्लू.–5 राम लखन यादव	चिकित्सक साक्षी
निरीक्षक	पी.डब्लू.–6 गोपाल सिंह	पुलिस साक्षी
उप निरीक्षक	पी.डब्लू.–7 हरजीत सिंह	पुलिस साक्षी
कॉन्सटेबल	पी.डब्लू.–8 पुष्पेन्द्र सिंह	पुलिस साक्षी

ब. बचाव पक्ष के गवाह

पद	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंचनामा साक्षी, अन्य)

स. न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो।

पद	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंचनामा साक्षी, अन्य)
	–	

अभियोजन / बचाव / अदालत के प्रदर्शो की सूची

अ. अभियोजन प्रदर्श

कम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श क–1	लिखित तहरीर
2.	प्रदर्श क–2	चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट
3.	प्रदर्श क–3	कार्बन प्रति रेफर स्लिप
4.	प्रदर्श क–4	सप्लीमेन्टरी रिपोर्ट
5.	प्रदर्श क–5	आरोप पत्र
6.	प्रदर्श क–6	चिक एफ.आई.आर.
7.	प्रदर्श क–7	जी.डी. की कार्बन प्रति
8.	प्रदर्श क–8	गिरफ्तारी मीमों
9.	प्रदर्श क–9	चेक लिस्ट
10.	प्रदर्श क–10	फर्द बरामदगी
11.	प्रदर्श क–11	नक्शानजरी
12.	प्रदर्श क–12	फर्द बरामदगी
13.	प्रदर्श क–13	नक्शानजरी
14.	प्रदर्श क–14	अभियोजन स्वीकृति

ब. बचाव प्रदर्श

कम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
	–	

स. न्यायालय प्रदर्श

कम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
	–	–

द. वस्तु प्रदर्श

कम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	वस्तु प्रदर्श–1	सील बन्द कपड़ा
2.	वस्तु प्रदर्श–2	तमंचा 315 बोर
3.	वस्तु प्रदर्श–3	खोखा कारतूस
4.	वस्तु प्रदर्श–4	सीलबन्द कपड़ा
5.	वस्तु प्रदर्श–5	एक तमंचा 315 बोर

राज्य बनाम 1. किताब सिंह पुत्र रामपाल
2. रामनिवास पुत्र हेतराम,
निवासीगण ग्राम नगला टिकुरी,

थाना सिकन्दपुर वैश्य, जिला कासगंज।

निर्णय

1. उपरोक्त वर्णित सत्र वाद संख्या–567/2024, मुकदमा अपराध संख्या 185/2023, राज्य बनाम किताब सिंह आदि, थाना सिकन्दरपुर वैश्य, जनपद कासगंज की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण किताब सिंह व रामनिवास के विरूद्व धारा 307, 504, 34, भारतीय दण्ड संहिता (जो अब के उपरांत भा०दं०सं० के रूप में लिखा जायेगा) व धारा 3/25 आयुध अधिनियम में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन कथानक

2. प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा द्वारा तहरीर इस आशय का प्रेषित की गयी कि ''प्रार्थी रामवीर पुत्र बाबूराम नि०ग्राम नगला टिकुरी थाना सि०पुर वैश्य जनपद कासगंज का मूल निवासी हूँ। मैं अपने ट्रैक्टर से खेत जोतते समय मेड़ कट गयी थी। इसी बात को लेकर मेरे गांव के रामनिवास पुत्र हेतराम व किताब सिंह पुत्र रामपाल मेरे घर आकर घर बाहर झोपडी में बैठे हुये मेरे पिताजी बाबूराम पुत्र पनमेश्वरी पर रामनिवास ने तमंचा निकालकर मेरे पिताजी के ऊपर समय करीब 8 बजे सुबह जान से मारने की नीयत से फायर मारा जो मेरे पिताजी बाबूराम के दाहिने कन्धे में गोली लगने पर मेरे पिताजी चारपाई पर गिर गये इतने में किताब सिंह पुत्र रामपाल ने तमंचा निकालकर मेरे पिताजी के ऊपर फायर किया जो मेरे पिताजी के सिर के ऊपर से निकल गया घटना को मैं व मेरी मॉ ओमवती देख रहे थे जब हमने शोर मचाया तो रामनिवास व किताब सिंह गाली देते हुये भाग गये श्रीमान जी मैं थाने सूचना देने आया हूँ मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।''

3. वादी मुकदमा की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना सिकन्दरपुर वैश्य पर अभियुक्तगण किताब सिंह एवं रामनिवास के विरुद्ध दिनांक–22.12.2023 को समय 14:28 बजे पर मुकदमा अपराध संख्या–185/2023, अन्तर्गत धारा– 307, 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी, जिसकी विवेचना हरजीत सिंह को सुपुर्द की गयी। दौरान विवेचना वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी तैयार किया गया। विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण रामनिवास व किताब सिंह के विरुद्ध अंतर्गत धारा– 307, 504, 34 भारतीय दण्ड संहिता व 3/25 आयुध अधिनियम में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

4. प्रेषित आरोप पत्र पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 21.03.2024 को प्रसंज्ञान लेते हुये अभियुक्तगण की हाजिरी सुनिश्चित की गयी तथा धारा 207 दण्ड प्रक्रिया संहिता (जो अब के उपरांत दं.प्र.सं. के रूप में लिखा जायेगा), का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अभियुक्तगण को नकलें प्रदान की गयी। न्यायिक मजिस्ट्रेट, कासगंज द्वारा दिनांक 04.04.2024 को पत्रावली सत्र सुपुर्दगी की गई, जो सत्र न्यायाधीश कासगंज के आदेश दिनांकित 15.04.2024 से सत्र वाद सं०–567/2024, के रूप में

पंजीकृत की गयी तथा उक्त पत्रावली सत्र न्यायाधीश कासगंज के आदेश दिनांकित 17.02.2026 के द्वारा इस न्यायालय को विचारण हेतु स्थानान्तरित की गई।

आरोप

5. सत्र वाद सं0 567/2024, मु0अ0सं0–185/2023 में अभियुक्तगण रामनिवास व किताब सिंह के विरुद्ध अंतर्गत धारा 307/34, 504 भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/25 आयुध अधिनियम में दिनांक 05.08.2024 को आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों से इंकार किया और विचारण की मॉग की।

अभियोजन के मौखिक साक्ष्य

6. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य में साक्षी पी.डब्लू0–1 वादी मुकदमा रामवीर, पी.डब्लू.–2 बाबूराम, पी.डब्लू.–3 ओमवती, पी.डब्लू0–4 विनीता, पी.डब्लू.–5 डॉ. रामलखन यादव, पी.डब्लू.–6 इन्सपेक्टर गोपाल सिंह, पी.डब्लू.–7 हरजीत सिंह एवं पी.डब्लू.–8 कॉ. पुष्पेन्द्र सिंह को परीक्षित कराया गया है। प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के संक्षेप में बयानों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जो निम्नवत है–

7. साक्षी पी.डब्लू.–1 रामवीर ने अपने सशपथ बयान में कथन किये हैं कि 22.12.2023 को वह अपने ट्रैक्टर से खेत जोत रहा था वह अपना खेत जोत रहा था खेत जोतते समय ट्रैक्टर से रामनिवास और किताब सिंह के खेत की मेढ़ गलती से कट गयी थी इसके बाद व घर आ गया था। खेत जोतने की बात 22.12.2023 को सुबह की है। खेत जोतकर वह प्रातः 8 बजे घर वापस आ गया था। आठ बजे सुबह उसने अपने घर पर फायर की आवाज सुनी वह और उसकी माता जी घर से बाहर आये तो देखा उसके पिताजी बाबूराम के कंधे में गोली लगी हुई थी। गोली अज्ञात लोगों ने चलाई थी उसने थाने जाकर सूचना दी थी और इस सम्बन्ध में एफ.आई.आर. गांव वालों के बहकावे में आकर रामनिवास और किताब सिंह के खिलाफ लिखा दी थी। साक्षी ने पत्रावली पर संलग्न तहरीर कागज संख्या 5अ/03 को देखकर कहा यह वही तहरीर है जो उसने थाने में एफ.आई.आर. पंजीकृत करते हुये दी थी तहरीर पर उसके हस्ताक्षर है जिनकी वह शिनाख्त करता है जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। यह तहरीर उसने अवधेश पुत्र अरबसिंह से बोल–बोलकर लिखाई थी। उसके पश्चात तहरीर पर हस्ताक्षर करके थाने में दी थी। पुलिस ने उसकी तहरीर पर एफ.आई.आर. लिखी थी। उसके पिताजी का मेडीकल हुआ था। उसने पुलिस को मुल्जिमान के नाम नहीं बताये थे उसेन नहीं पता यह घटना किसने की है।

इस साक्षी द्वारा जिरह में कथन किये गये हैं कि यह बात सही है कि 22–12–23 को सुबह करीब आठ बजे उसके पिताजी बाबूराम के कंधे में फायर की गोली लगी थी। यह कहना भी सही कि उसने उस गोली की आवाज सुनी थी। गोली की आवाज उसकी माँ ने भी सुनी थी। यह कहना सही है कि यह गोली तमंचे से चलाई थी। यह कहना सही है कि उसने थाने में जो एफ.आई.आर. लिखाई थी उसमें घटना के चश्मदीद गवाह में अपना और अपनी माँ ओमवती का नाम लिखाया था। यह कहना भी सही है कि उसने अपनी एफ.आई.आर. में घटना के मुल्जिमान किताब सिंह व रामनिवास का नाम लिखवाया था। यह कहना

सही है कि उसने एफ.आई.आर. में लिखाया था कि रामनिवास पुत्र हेतराम ने तमंचा निकालकर उसके पिताजी को जान से मारने की नियत से फायर किया था जो उनके दाहिने कंधे में लगना एफ.आई.आर. में लिखाया था एफ.आई.आर. में उसने किताब सिंह पुत्र रामपाल द्वारा भी उसके पिताजी के ऊपर फायर किया जाना लिखवाया था। साक्षी को 161 दं.प्र.सं. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि ऐसा कोई बयान उसने किसी पुलिस वाले को नहीं दिया था। पुलिस ने उसके नाम पर ऐसा बयान कैसे लिख लिया वह इसकी वजह नहीं बता सकता। पुलिस की उससे कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही उसकी पुलिस वालों से दुश्मनी थी। यह बात सही है कि उसके ट्रैक्टर से रामनिवास और किताब सिंह के खेत की मेड़ कट गयी थी। यह कहना भी सही है कि गोली से घायल उसके पिता का इलाज चला था। यह कहना गलत है कि उसका मुल्जिमानों से समझौता हो गया हो। यह कहना भी गलत है कि वह किसी लालच व दबाव में आकर आज न्यायालय में सही बात न बता रहा है। यह कहना गलत है कि वह झूठा बयान दे रहा है।

किताब सिंह एवं रामनिवास उसके गाँव के रहने वाले हैं तथा हमारे खेत भी आस पास ही हैं। खेत की मेड़ को लेकर उनकी आपस में कहा सुनी हो गयी थी। उसके बाद उनके सम्बन्ध सामान्य हो गये थे। घटना वाले दिन दो अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से मुँह पर ढाटा बाँधकर निकले और अचानक उसके पिता की ओर फायर करके भाग गये जिससे उसके पिता चुटैल हो गये। घटना के समय वह वहीं मौजूद था तथा गाँव के बहुत सारे लोग एकत्रित हो गये। किताब सिंह व रामनिवास भी आ गये थे परंतु कुछ समय बाद ही किताब सिंह व रामनिवास वहाँ से चले गये। उसने घटना के सम्बन्ध में थाने पर तहरीर दी थी जो अवधेश ने लिखी थी। उसे नहीं मालूम तहरीर में क्या लिखा गया था। वह बहुत परेशान था तहरीर उसे पढ़कर भी नहीं सुनाई गयी थी। उसने पुलिस को कभी यह नहीं बताया कि घटना किताब सिंह व रामनिवास ने की हो। पुलिस द्वारा किताब सिंह व रामनिवास को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार कर लिया वह इसकी वजह नहीं बता सकता। मगर यह बात सही है कि किताब सिंह व रामनिवास द्वारा यह घटना कारित नहीं की गयी है। वह दोनों निर्दोष हैं। पुलिस द्वारा तमंचे की जो बरामदगी दिखाई गयी है वह गलत है। पुलिस द्वारा झूठी बरामदगी दिखाई गयी है। वह अपने पिताजी को घटना के बाद घर लेकर आया था। उसके खेत से कुछ ही दूरी पर घटना हुई थी। घटना स्थल से उसका घर पाँच सौ मीटर दूर है। यह कहना सही है कि किताब सिंह व रामनिवास द्वारा उसके पिता के ऊपर फायर नहीं किया गया ना ही अन्य कोई घटना कारित की गयी। यह कहना भी सही है रामनिवास व किताब सिंह से कोई तमंचा अथवा कारतूस बरामद नहीं हुआ। यह कहना भी सही है कि पुलिस को उसने रामनिवास व किताब सिंह द्वारा घटना कारित करना नहीं बताया है। यह कहना सही है कि उसके व उसके पिता के अलावा उस घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। क्योंकि घटना स्थल गांव से दूर है वहां और आमलोगों का आना जाना नहीं रहता है। पुलिस द्वारा उससे घटनास्थल पूछा गया था तो उसने पुलिस को खेत के पास वाली जगह ही बताई थी जहां आसपास आबादी नहीं है। पुलिस ने अगर किसी अन्य जगह की घटना दर्शायी हो तो इसकी वजह वह नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि वह अपना बयान बिना किसी जोर दबाव अथवा प्रलोभन के अपनी स्वेच्छा से दे रहा है, जो सच बात थी वही बात आज उसने न्यायालय में बतायी है।

8. साक्षी पी.डब्लू.–2 बाबूराम ने अपने सशपथ बयान में कथन किये हैं कि दिनांक 22.12.2023 को वह अपने बेटे रामवीर के साथ खेत पर था उसका बेटा ट्रैक्टर से खेत जोत रहा था। उसके खेत के पास में ही रामनिवास व किताब सिंह का खेत है। किताब सिंह रामनिवास के सगे भतीजे है। खेत की मेढ़ को लेकर उनकी और किताब सिंह व रामनिवास की आपस में कहा सुनी हो गयी थी। खेत जोतते समय मेढ़ कटने को लेकर एक दिन पहले भी कहा सुनी हुई थी। 22.12.2023 को वह खते से गांव नगला टिकुरी अपने घर वापिस आ गया था। सुबह के लगभग आठ बजे थे वह आराम करने के लिये घर के बाहर चारपाई पर लेटा हुआ था तभी दो अज्ञात व्यक्ति मुॅह पर ढाटा बांधे हुये आये और उसके उपर जान से मारने की नीयत से फायर किये जिनमें से एक आदमी का फायर उसके दाहिने कंधे में लगा और वह वही चारपाई से गिर गया गोली की आवाज सुनकर उसका बेटा रामवीर पत्नी ओमवती घर से बाहर आ गये उन्होंने उसे उठाया। कुल दो अभियुक्तों ने तमंचो से फायर किये थे दोनों के पास एक–एक तमंचा था उसे इलाज के लिये जिला अस्पताल ले गये थे। वहॉ से उसे अलीगढ़ मेडीकल कॉलेज में उसका इलाज चला था उसे नहीं मालूम उसके उपर किन लोगों ने फायर किये थे। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया और न ही मुल्जिमानों के नाम बताये।

इस साक्षी द्वारा जिरह में कथन किये गये हैं कि यह बात सही है कि इस घटना की रिपोर्ट उसके बेटे रामवीर ने लिखाई थी। उसे नहीं पता कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया था। यह कहना सही है कि उसके ऊपर जान से मारने की नियत से फायर हुए थे। यह कहना भी सही है कि फायर लगने की वजह से वह घायल भी हुआ था और उसका इलाज भी चला था। यह कहना सही है कि यह मुकदमा किताब सिंह व रामनिवास के खिलाफ चल रहा है। साक्षी को उसकी धारा 161 दं.प्र.सं. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि उसने किसी पुलिस वाले को ऐसा कोई बयान नहीं दिया। वह नहीं बता सकता कि पुलिस वाले ने उसके नाम पर ऐसा बयान कैसे लिख लिया। उसकी किसी पुलिस वाले से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही किसी पुलिस वाले की उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। उसने दरोगा जी को इस घटना के मुल्जिम के रूप में किताब सिंह व रामनिवास का नाम नहीं बताया था, यह कहना गलत है कि उसके ऊपर किताब सिंह और रामनिवास ने जान से मारने की नियत से फायर किया हो। यह कहना भी गलत है कि आज वह किसी लालच व दबाव में आकर मुल्जिमानों से मिल गया है और न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा है ।

घटना वाले दिन वह अपने खेत पर था। घटना के बाद घटना कारित करने वाले लोग भाग गये थे। घटनास्थल पर वह और उसके बेटे रामबीर के अलावा अन्य कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था क्योंकि घटना स्थल आम रास्ता नहीं है तथा आबादी से पॉच सौ मीटर दूरी पर है। घटना के बाद उसका बेटा रामवीर घर लेकर आया था उसे देखने वालों की भीड़ लग गयी थी उसे देखने रामनिवास व किताब सिंह भी आये थे। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गये थे। उसके बेटे से थाने में दरोगा जी ने तहरीर लिखवा ली थी जिस पर उसके बेटे के दस्तखत करा लिये थे। उसका बेटा रामवीर सिर्फ दस्तखत करना जानता है, लिखना पढ़ना नहीं जानता है। तहरीर में किताब सिंह व रामनिवास का नाम गलती से लिखा गया है। वह रामनिवास व किताब सिंह को अच्छी तरह से जानता पहचानता है ये उसके पड़ोस के रहने वाले है। उसके ऊपर गोली चलाने वाले अज्ञात व्यक्तियों को वह और उसका बेटा रामवीर पहचान नहीं पाये थे क्योंकि उनके ऊपर ढाटा बंधा हुआ था। पुलिस द्वारा रामनिवास व किताब सिंह से जो तंमचे बरामद किये है वह गलत (फर्जी) है।

पुलिस द्वारा झूठी बरामदगी दर्शायी गयी है। रामनिवास व किताब सिंह निर्दोष है। इनके द्वारा उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की गयी है। यह कहना सही है कि इस घटना का उसके व उसके पुत्र के अलावा अन्य कोई गवाह नहीं है। यह कहना सही है कि उसके द्वारा पुलिस को रामनिवास व किताब सिंह द्वारा घटना कारित करने के सम्बन्ध में कोई बयान नहीं दिया गया है। यह कहना सही है कि घटनास्थल उसका घर नहीं है। यह कहना सही है कि आज वह अपना बयान बिना किसी जोर दबाव अन्य लोभ अथवा प्रलोभन के अपनी मर्जी से दे रहा है जो सही बात थी आज वही न्यायालय में बतायी है।

9. साक्षी पी.डब्लू.–3 ओमवती ने अपने सशपथ बयानों में कथन किये हैं कि दनांक 22.12.23 की सुबह 8 बजे की बात है वह और उसका बेटा रामवीर घर के अन्दर थे तभी उसने फायर की तेज आवाज सुनी तो हम दोनों बाहर निकल कर आये तो देखा कि उसके पति बाबूराम के कंधे में गोली लगी थी जो कि दो अज्ञात व्यक्ति जिनके मुंह पर ढाटा बंधा हुआ था जिनके चेहरे वह नहीं देख सकी के द्वारा चलाई गयी गोली हमलावरों ने उसके और उसके बेटे को देखकर हमारे उपर भी फायर किया लेकिन वो किसी को नहीं लगी। हमलावर गली और धमकिया देते हुये भाग गये उसने पुलिस को हमलावरों के नाम नहीं बताये थे और न ही पुलिस को कोई बयान दिया था।

इस साक्षी द्वारा जिरह में कथन किये गये हैं कि यह कहना सही है कि घर की रिपोर्ट उसके बेटे रामवीर ने लिखवाई थी। यह बात भी सही है कि उसके बेटे ने जो रिपोर्ट लिखवायी थी वह भी सही लिखवायी थी। उसे नहीं पता रिपोर्ट किन लोगों के खिलाफ उसके बेटे रामवीर ने लिखवाई थी। उसे यह भी नहीं पता कि रिपोर्ट में क्या लिखा गया था। यह कहना सही है उसके पति को जान से मारने की नियत से उनके ऊपर फायर किये गये थे और वो घायल भी हुये थे और उनका इलाज भी चला था। उसे नहीं पता वह किस केस में आज गवाही देने आयी है। उसमें मुल्जिम कौन–कौन है, उसे नहीं पता कि यह घटना किताब सिंह व रामनिवास ने कारित की क्योंकि हमलावरों के मुँह पर ढाटा बंधा हुआ था। साक्षी को उसका धारा 161 दं.प्र.सं. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा उसने किसी पुलिस वाले को ऐसा कोई बयान नहीं दिया उसकी पुलिस से कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस ने उसके नाम पर ऐसा बयान कैसे लिख लिया वह उसकी वजह नहीं बता सकती। यह कहना सही है कि किताब सिंह व रामनिवास का खेत उनके खेत के पास है वह किताब सिंह व रामनिवास को पहचानती है। यह कहना सही है कि उसके पति पर जानलेवा हमला से एक दिन पहले खेत की मेड़ को लेकर उसके पति व बेटे का रामनिवास व किताब सिंह से विवाद हुआ था। उसने घटना के मुल्जिम के रूप में किताब सिंह व रामनिवास को पुलिस को नाम नहीं बताया है। यह कहना सही है कि उसके पति को जब गोली लगी थी तब वो घर के बाहर चारपाई पर लेटे हुये थे तो उनके गोली लगी थी। यह कहना गलत है कि उसके पति बाबूराम मुल्जिमान किताब सिंह व रामनिवास द्वारा जान से मारने की नियत से चलायी गयी फायर से घायल हुये हों। यह कहना भी गलत है कि रामनिवास व किताब सिंह ने उसके और उसके बेटे के ऊपर भी फायर किया हो। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों से उसका कोई समझौता हो गया है। यह कहना गलत है कि वह किसी लालच व दबाव में आकर मुल्जिमानों से मिल गयी है और मुल्जिमानों को बचाने के लिए झूठी गवाही दे रही है ।

किताब सिंह व रामनिवास उसके गांव के रहने वाले है तथा उनके खेतों के आस पास ही किताब सिंह व रामनिवास के खेत है। खेत की मेड़ को लेकर उसके बेटे व पति बाबूराम की रामनिवास व किताब सिंह से कहा सुनी हो गयी थी जिसके बाद उनके सम्बन्ध सामान्य हो गये थे। घटना वाले दिन दो अज्ञात व्यक्ति मोटर साईकिल से मुँह पर ढाटा बांधकर निकले और अचानक उसके पति की ओर फायर करके भाग गये जिससे उसके पति चुटैल हो गये। घटना के समय वह वहां मौजूद थी फायर की आवाज सुनकर गांव के बहुत सारे लोग एकत्रित हो गये। किताब सिंह व रामनिवास भी आ गये थे उसके बेटे ने घटना के सम्बन्ध में थाने पर तहरीर दी थी जो अवधेश ने लिखी थी उसे नहीं पता तहरीर में क्या लिखा था। उसने पुलिस को किताब सिंह व रामनिवास के द्वारा कोई भी घटना कारित की गयी हो। ऐसी कोई भी बात नहीं बतायी थी पुलिस ने किताब सिंह व रामनिवास को क्यों गिरफ्तार किया वह उसकी वजह नही बता सकती मगर यह बात सही है कि किताब सिंह व रामनिवास जो कि उनके अड़ोस पड़ोस के है और उनके द्वारा यह घटना कारित नहीं की गयी वह दोनों ही निर्दोष है। वह किताब सिंह व रामनिवास को भली भाँति पहचानती है। पुलिस द्वारा तंमचे की जो बरामदगी दिखाई गयी है वह गलत है पुलिस द्वारा झूठी बरामदगी दिखाई गयी है। घटना के बाद वह व उसका बेटा उसके पति बाबूराम को घर लेकर आये थे जो कि उसके खेतों से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यह कहना सही है कि किताब सिंह व रामनिवास द्वारा उसके पति के ऊपर फायर नहीं किया गया ना ही अन्य कोई घटना कारित की गयी है। यह कहना भी सही है कि रामनिवास व किताब सिंह से कोई तंमचा बरामद नहीं हुआ। यह कहना भी सही है कि पुलिस को उसने रामनिवास व किताब सिंह द्वारा घटना कारित करना नहीं बताया हो। यह कहना सही है कि घटनास्थल उसके घर पर ना होते हुये उसके खेत पर हुई है। जहाँ आम लोगों का आना जाना रहता है। पुलिस द्वारा उससे घटनास्थल पूछा गया था तो उसने पुलिस को खेत के पास वाली जगह ही बतायी थी जहाँ आस पास आबादी नहीं है। पुलिस ने अन्य किसी जगह की घटना दिखाई है तो इसकी वजह वह नहीं बता सकती। यह कहना सही है कि वह अपना बयान बिना किसी जोर दबाव अथवा प्रलोभन के अपनी मर्जी से दे रही है। जो बात सही है वही बातें आज अदालत में बता रही है।

10. साक्षी पी.डब्लू.–4 विनीता ने अपने सशपथ बयान में कथन किये हैं कि घटना दिनांक 22.12.2023 सुबह 08:00 बजे की है वह अपने घर के अन्दर काम कर रही थी। उस समय उसका भाई रामवीर और उसकी माता जी ओमवती भी घर में मौजूद थे। उसके पिताजी घर के बाहर बराबर में झोपड़ी में लेटे हुए थे। तभी बाहर शोर शराबा व धमाके की आवाज सुनी तभी वह उसका भाई उसकी माता जी घर के बाहर निकले तो देखा कि उसके पिताजी बाबूराम के कन्धे में गोली लगी है तथा किताब सिंह पुत्र रामपाल, रामनिवास, जिनके हाथ में नाजायज हथियार थे जिन्होने उनके पिता जी के गोली मार दी। जब तक हम बाहर आए थे तो वो लोग भाग लिए थे उसने उन लोगों को देख लिया था। उसके पिता जी के गोली किताब सिंह और रामनिवास ने इसलिए मारी थी कि घटना से एक दिन पहले उसका भाई रामवीर ट्रैक्टर लेकर खेत जोतने गया था वहाँ मेड़ को लेकर विवाद हो गया था। यही उसका बयान है।

इस साक्षी द्वारा जिरह में कथन किये गये हैं कि उसकी उम्र इस वक्त 21 वर्ष है। उसकी शादी एक वर्ष पूर्व हुई है। वह पढ़ी हुई नहीं है अंग्रेजी के महीने नहीं जानती है इसलिए नहीं बता सकती कि अंग्रेजी के

किस महीने में उसकी शादी हुई। वह यह बात जानती है कि साल में तेरह महीने होते है। घटना के समय उसकी शादी नहीं हुई थी। उसकी इस वक्त दो महीने की बेटी है। उसका बच्चा शादी के दस महीने बाद हुआ था। वह अपने खेतों पर जाती रहती है इसलिए उसे पता है कि किस मेड़ का विवाद है। वह इतना पढ़ी नही है कि मेड़ की दूरी घर से बता सका, लेकिन उनकी घर से आँखों से दिखता है, छत से देखो तो दिखता है वरना आबादी है तो नही दिखता है। बाबूराम उसके पिता है वह अपने पिता के साथ अस्पताल नहीं गई थी वह थाने भी नही गई थी। रामवीर उसका भाई है ओमवती उसकी माँ है तथा बाबूराम उसके पिता है। इन तीनो लोगो को घटना के सम्बन्ध में सारी सही सही बात पता है। उसका भाई नरेश दिल्ली रहता है। दो भाई गांव में रहते है। दोनो भाई घर पर थे। उसे यह जानकारी नहीं है कि उसके भाई रामवीर पिता बाबूराम व माता ओमवती की गवाही माननीय न्यायालय के समक्ष हुई या नहीं। उसके मम्मी पापा भाई सच बोलते है अगर धमकाने से धमक जाए तो वह नहीं जानती है। उसे किसी ने नही धमकाया है। आज उसके साथ उसका भाई रामवीर आया है। उसके भाई रामवीर को आज किसी ने उसके सामने धमकाया नही है। रामवीर ने उसे नहीं बताया है कि क्या गवाही देनी है न उसके वकील साहब ने उसे बताया कि क्या गवाही देनी है। यह बात सही है कि रामवीर, बाबूराम ओमवती तथा उसके अतिरिक्त मौके पर कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था जिसने घटना देखी हो लेकिन आवाज सुनने के बाद गाँव के बहुत से व्यक्ति ने घटना को देखा है। वह किसी का नाम नहीं बता सकती फिर स्वयं कहा कि उसके बाबा लालमन जो उसके सगे बाबा व गांव के लोग थे लेकिन वह रोने में लगी थी इसलिए वह नाम नहीं बता सकती। वह वहाँ किसी को पहचान नहीं पाई थी। इसलिए वह किसी का नाम नही बता पा रही है। पापा के अस्पताल जाने के छः महीने बाद उसकी शादी हुई थी। उसके पापा कोई काम नहीं करते है और भाई खेती का काम करता है। उसे नही पता कि उसके घर की क्या कमाई है। उसकी शादी में ढाई लाख रूपये खर्च हुए थे वो रूपये कहाँ से आए उसे नहीं मालूम। यह कहना गलत है कि रामनिवास व किताब सिंह से उसके पिता ने उसकी शादी के लिए रूपये उधार लिये हो तथा वापिस न करने पड़े इसलिए इन लोगो के विरूद्ध झूठा मुकदमा लिखाया है। उसके पास पुलिस बताने आई थी कि न्यायालय में उसकी गवाही होनी है। यह कहना गलत है कि आज वह न्यायालय में सच बात नहीं बता रही है।

11. साक्षी पी.डब्लू.–5 डॉ. रामलखन यादव ने अपने सशपथ बयानों में कथन किये हैं कि दिनांक 22.12.2023 को वह संयुक्त जिला चिकित्सालय कासगंज पर बतौर चिकित्सक तैनात था। इसी दिनांक को मजरूब बाबूराम उम्र करीब 60 वर्ष पुत्र पनमेश्वरी निवासी नगला टिकुरी थाना सि०पुर वैश्य को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लेकर उसका बेटा रामवीर अस्पताल आया था। जिसका चिकित्सीय परीक्षण उसके द्वारा 02:50 पी.एम. से 03:15 पी.एम. तक किया गया। मजरूब के परीक्षण के समय निम्न चोट पायी गयी थी–चोट नं०–01 एक एन्ट्रीबोन्ड (लेसिरेटिड बोन्ड) जिसका आकार 01.5 सेमी. X0.5 सेमी. X4 सेमी. दाहिने कन्धे पर अन्दर की तरफ मांस की गहराई तक था। तथा घाव के किनारे अन्दर की तरफ (मार्जिन इन्वर्टिड) थे (स्किन बर्न) त्वचा जली हुयी थी। जिसके एक्सरे की सलाह दी गयी थी। चोट नं०–02 एक खरोचनुमा/रगडनुमा घाव जिसका आकार लगभग 5 सेमी. X 1.5 सेमी. जो चोट नं० 01 के चारों तरफ काली त्वचा लिये हुये था। जिसके एक्सरे की सलाह दी गयी थी। घाव से ब्लड आ रहा था। जो ताजा रेड एण्ड ब्लैक था। परीक्षण के

समय मजरूब का वाइटल स्टेबल था। और होशोहवाश में था। जिसका बी०पी० 150/86 था। जिसकी पल्स 90/मिनट थी। जिसका ऑक्सीजन लेवल 98 था। सभी चोटें अन्डर ऑब्जर्वेशन रखी गयी। जो किसी आग्नेय आयुध (Fire Armed) से आना सम्भव है। चोटें ताजा थी। तथा मजरूब को जे.एन.एम.सी. अलीगढ़ मैनेजमेंट उपचार एवं एक्सपर्ट ओपेनीयन के लिये रेफर किया गया था। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 09अ/02 चिकित्सीय परीक्षण उसके हस्तलेख में है। जिस पर मजरूब का निशानी अंगूठा व उसके हस्ताक्षर हैं। वह अपने लेख हस्ताक्षर की शिनाख्त करता है। जिस पर प्रदर्श क–02 डाला गया। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 09अ/01 रेफर स्लिप कार्बन प्रति जो सत्यापित है, उसके लेख व हस्ताक्षर में है। जिस पर प्रदर्श क–03 डाला गया। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 09अ/09 सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जो उसके द्वारा दिनांक 15.03.2024 को रेडियोलोजिस्ट/ट्रीटिंग डॉ० जेएनएमसी अलीगढ़ की रिपोर्ट व एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गयी थी। जिसमें गर्दन के नीचे दाहिने हसिली (राइट केविकल) के बाहरी हिस्से में (लिटरल इन्ड) टूटा हुया पाया गया। जो उसके हस्तलेख में व हस्तारित है। जिस पर प्रदर्श क–04 डाला गया। इस संबंध में विवेचक द्वारा उसका बयान लिया गया कि नहीं आज उसे याद नहीं है।

इस साक्षी द्वारा जिरह में कथन किये गये हैं कि मजरूब बाबूराम को कोई भी पुलिस कर्मी लेकर नहीं आया था। मेडीकल कराने के लिये उसे मजरूब बाबूराम की कोई मजरूबी चिट्ठी नहीं मिली थी। बिना मजरूबी चिट्‌ठी के उसने बाबूराम का मेडीकल किया था। मेडीकल के समय मजरूब बाबूराम होशहवाश में था। मजरूब का पल्स और ऑक्सीजन सामान्य था। मजरूब ने उसे यह नहीं बताया कि उसे यह चोट कैसे आयी है, इसका उसे ध्यान नहीं है। मजरूब के बेटे रामवीर ने उसे यह नहीं बताया या नहीं बताया कि मजरूब के यह चोटें कैसे आयी हैं, इसका भी उसे याद नहीं है। उसने मजरूब या उसके बेटे रामवीर का कोई बयान अंकित नहीं किया है। फ्रेश इन्जरी का मतलब लगभग 06 घण्टे तक पुरानी इन्जरी का होता है। यह बात सही है कि मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट पर निशानी अंगूठा है उस पर किसी का नाम नहीं है। यह बात सही है कि मजरूब की चोट पर कालिमा थी। यह कालिमा चोट से 01 से 03 फुट तक आती है यह बात फारेन्सिक एक्सपर्ट बता सकते हैं, वह नहीं बता सकता। मजरूब को जब जे.एन.एम.सी. अलीगढ़ रेफर किया गया था तब तक उसके द्वारा किसी भी पुलिस कर्मी को कोई भी सूचना नहीं दी गयी थी। रेफर की स्लिप भी मजरूब के बेटे रामवीर को दी गयी थी। मजरूब को जब जे.एन.एम.सी. अलीगढ़ रेफर किया गया था तो उसके लिये दाहिने सोल्डर के उपचारा एवं एक्सपर्ट ओपीनियन के लिये भेजा गया था। मजरूब की चोट नं० 02, चोट नं० 01 से संबंधित है। मजरूब के घाव में कोई छर्रा या गोली बरामद नहीं हुयी थी, इसके बारे में मेडीकल कॉलेज बतायेगा। मजरूब के कोई भी एक्सरे या एक्सरे रिपोर्ट ऐसी प्राप्त नहीं थी जिसमें छर्रा या गोली प्राप्त हुयी हो। इन्वर्टड का मतलब अन्दर की ओर होता है। मजरूब की कोई भी एक्सरे प्लेट उसे नहीं मिली थी। इसके अलावा केस सीट में क्या लिखा हुया है वह नहीं बता सकता। सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में भी यह बात कहीं नहीं लिखी है कि मजरूब के कोई गोली या छर्रा मिला हो। मजरूब के इस तरीके की चोट किसी गरम सरिया से या किसी अन्य गरम धातु से बनायी जा सकती है वह इसके बारे में नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि उसने यह मेडीकल चोटें मजरूब या उसके बेटे से मिलकर गलत चोटें लिखी हों और झूठी मेडीकल तैयार की हो। यह कहना भी गलत है कि वह आज झूठा बयान दे रहा है।

12. साक्षी पी.डब्लू.–6 इन्सपेक्टर गोपाल सिंह ने अपने सशपथ बयानों में कथन किये हैं कि दनांक 23–02–2024 को वह थाना सिकन्दरपुर वैश्य पर बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। मु.अ.सं. 185/2023 धारा 307, 504, 34 आईपीसी व 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम किताब सिंह आदि की विवेचना पूर्व विवेचक उप निरीक्षक श्री हरजीत सिंह द्वारा की जा रही थी। उनके स्थानान्तरण उपरान्त विवेचना उसे प्राप्त हुई। पूर्व विवेचक द्वारा किता किये गये सीडी संख्या 01 लगायत 17 किता की गई, प्राप्त कर अवलोकन किया। दिनांक 01–03–2024 को सीडी संख्या 19 किता करते हुये माल मुकदमा अवैध तमंचा की अभियोजन स्वीकृति का आदेश प्राप्त व अवलोकन कर संलग्न सीडी किया गया। दिनांक 05–03–2024 सीडी संख्या 20 किता की गई जिसमें वादी मुकदमा व मजरूब रामवीर व बाबूराम के मजीद बयान अंकित किये गये। दिनांक 10–03–2024 को सीडी संख्या 21 किता करते हुये मजरूब बाबूराम की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त व अवलोकन संलग्न सीडी की गई। दिनांक 15–03–2024 को मजरूब बाबूराम के मेडिकल कर्ता डॉक्टर रामलखन यादव से सप्लीमेंट्री रिपोर्ट तैयार करा कर बयान अंकित किये। तत्पश्चात अब तक की पूर्व विवेचक व उसके द्वारा की गई विवेचना में बयान वादी, मजरूब, गवाहान, निरीक्षण घटना स्थल, बरामदगी अवैध तमंचा तथा चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण किताब सिंह व रामनिवास के विरुद्ध धारा 307, 504, 34 आई.पी.सी. व 3/25 आर्म्स एक्ट का सक्षम साक्ष्य पाये जाने पर उसके द्वारा आरोप पत्र संख्या 32/2024 माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया, जो पत्रावली पर कागज संख्या 4अ/1 लगायत 4अ/3 कंप्यूटरीकृत मौजूद है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श–क–5 डाला गया।

इस साक्षी द्वारा जिरह में कथन किये गये हैं कि इस मुकदमें में उसके द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। उसके द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण नहीं किया गया है। घटनास्थल से चोटिल के खून का कोई नमूना नहीं लिया गया था। चोटिल के कपड़ों को भी जिस पर खून लगा हो सील नहीं किया गया है। जो तमंचा सील किया गया था उस से फायर हुआ था या नहीं इस सम्बन्ध में कोई बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट नहीं ली गयी है। पूर्व विवेचक द्वारा अभियुक्त की पी.सी.आर. लेकर तमंचे की बरामदगी कराई गयी। तमंचे की बरामदगी किस स्थान से हुई उसे नहीं मालूम। दोनों अभियुक्तगण किताब सिंह एवं रामनिवास से तमंचे की बरामदगी कराई गई थी। बरामदगी के समय आम जनता का कोई साक्षी नहीं था। बरामदगी की कोई वीडियोग्राफी कराई गयी या नहीं उसे ध्यान नहीं है। उसे याद नहीं है कि चोटिल के शरीर से कोई छर्रा या बुलेट पाई गयी थी अथवा नहीं। सम्पूर्ण विवेचना में कोई भी आम जनता का गवाह नहीं मिला है। चोटिल, वादी, अभियुक्तगण, गवाह पुलिस और डॉक्टर के बयान के आधार पर बरामदगी के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

दौरान विवेचना उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन किया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट साढ़े छः घंटे विलम्ब से थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब का कारण उल्लिखित नहीं था। दौरान विवेचना उसने संयुक्त जिला चिकित्सालय कासगंज में बाबूराम की चिकित्सीय परीक्षण का अवलोकन किया था। बाबूराम को चिकित्सालय कोई भी पुलिस कर्मी नहीं ले गया था उसका पुत्र रामवीर ले गया था। दिनांक 22–12–2023 समय 3:15 पी.एम. तक चोटिल बाबूराम के पास जिला चिकित्सालय कासगंज में कोई भी पुलिसकर्मी नहीं गया था। यह कहना सही है कि चोटिल बाबूराम को इलाज के लिये दी जाने वाली मजरूबी चिट्ठी इस

पत्रावली पर मौजूद नहीं है। वह पुलिस विभाग में 1998 से कार्यरत है। उसे इस बात की जानकारी है कि थाना हाजा का कोई भी अधिकारी, कर्मचारी सीमा क्षेत्र थाना से बाहर या सीमा क्षेत्र के अन्दर दौरान विवेचना, दौरान गश्त, दौरान तलाश वांछित अपराधी जाता है तो उसकी रवानगी जीडी तैयार होती है। यह बात सही है कि दिनांक 23–12–2023 अभियुक्त रामनिवास को मय तमंचा के पकड़कर थाना हाजा लाया गया था इस बात की कोई भी जी.डी. पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अभियुक्त रामनिवास से कोई भी तमंचा, कारतूस बरामद हुआ था इसकी कोई भी फोटो, वीडियोग्राफी या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मौजूद नहीं था। यह बात सही है कि विधि का विधान है कि कोई भी बरामदगी अभियुक्त से की जाती है तो इसकी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कराई जानी आवश्यक है। अब नये कानून में यह प्रावधान है कि बरामदगी की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करना अनिवार्य है। अभियुक्त रामनिवास से बरामद तमंचा व कारतूस का कोई भी जनता का गवाह मौजूद नहीं था। जिस स्थान पर अभियुक्त रामनिवास का तमंचा बरामद होना बताया गया उस स्थान का उसके द्वारा निरीक्षण नहीं किया। सिर्फ पूर्व विवेचक द्वारा किया केस डायरी जिसमे बरामदगी का घटना स्थल का नक्शा लगा है, का अवलोकन किया था। रामनिवास की किस संत्री पहरा द्वारा तलाशी ली गई थी, इसका विवरण विवेचना में नहीं है। संत्री पहरा का भी बयान अंकित नहीं किया गया था। संत्री पहरा से भी उसने यह जानने की कोशिश नहीं की कि अभियुक्त रामनिवास को जब हवालात में दाखिल किया गया था तब उससे क्या वस्तु बरामद हुई थी। बरामदगी स्थल का उसने निरीक्षण नहीं किया था इसलिये वह नहीं बता सकता कि निरीक्षण स्थल के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्या है। दिनांक 23–12–2023 को अभियुक्त रामनिवास से कोई तमंचा, कारतूस बरामद हुआ था, इस बात की नक्शा नजरी इस पत्रावली पर मौजूद नहीं है। यह बात सही है कि अभियोजन स्वीकृति को पूर्व विवेचक किस दिनांक को गये थे इस बात की रवानगी जी.डी. पत्रावली पर मौजूद नहीं है। वापसी जी.डी. भी पत्रावली पर मौजूद नहीं है। दौरान विवेचना उसने कोई भी तमंचा विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भिजवाया। दौरान विवेचना उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन किया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई भी चश्मदीद साक्षी मौजूद नहीं था। सिर्फ वादी मौजूद था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई भी घटना देखने वाले साक्षी का नाम अंकित नहीं था। पूर्व विवेचक द्वारा उसने धारा 161 दं.प्र.सं. का बयान मुकदमा वादी रामवीर मजरूब बाबूराम, ओमवती के बयानों का अवलोकन किया था। उक्त सभी गवाहों ने अपने बयान में यह नहीं बताया था कि विनीता पुत्री बाबूराम निवासी नगला टिकुरी थाना सिकन्दरपुर वैश्य जिला कासगंज घटना स्थल पर मौजूद थी और उसने कोई घटना देखी थी। यह कहना गलत है कि इस केस की उसने निष्पक्ष विवेचना न की हो और पूर्व विवेचक द्वारा की गई विवेचना के आधार पर झूठा आरोप पत्र प्रेषित कर दिया हो। यह कहना गलत है कि आज वह झूठा बयान दे रहा है।

13. साक्षी पी.डब्लू.–7 उपनिरीक्षक हरजीत सिंह ने अपने सशपथ बयान में कथन किये हैं कि दिनांक 22–12–2023 को वह थाना सिकन्दरपुर वैश्य पर उपनिरीक्षक पद पर तैनात था तथा उसे अपराध संख्या 185/2023 धारा 307, 504 आईपीसी बनाम निवास सिंह व रामनिवास थाना सिकन्दरपुर वैश्य की विवेचना प्राप्त हुई थी। जिसकी एफ.आई.आर. निम्न कांस्टेबल पुष्पेन्द्र सिंह द्वारा कंप्यूटर पर पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 5अ/1 लगायत 5अ/2 दर्ज की गई थी। जिस पर एसएचओ महोदय के हस्ताक्षर है। उक्त एफ.आई.आर. वादी राजवीर पुत्र बाबूराम की तहरीर कागज संख्या 5अ/3 के आधार पर लिखी गई थी।

जिसका खुलासा पुष्पेन्द्र कांस्टेबल द्वारा जीडी संख्या 26 दिनांक 22—12—2023 समय 19:28 पर किया गया जो पत्रावली पर कागज संख्या 7अ/2 मौजूद है जिस पर कांस्टेवल पुष्पेन्द्र के हस्ताक्षर है। अपनी तैनाती के समय उसने कांस्टेबल पुष्पेन्द्र को पढ़ते लिखते व हस्ताक्षर करते हुये बखूबी देखा है, उनके हस्ताक्षर की पुष्टि करता है नकल चिक एफ.आई.आर. व जीडी पर क्रमशः प्रदर्श—क—6 व प्रदर्श—क—7 डाला गया। उसके द्वारा विवेचना से सम्बन्धित नकल चिक नकल रपट व आवश्यक कागजात प्राप्त व अवलोकन कर एफआईआर लेखक कांस्टेवल पुष्पेन्द्र सिंह का बयान अंकित किया। दिनांक 23—12—2023 को अभियुक्तगण को तलाश किया तो जानकारी मिली कि अभियुक्त रामनिवास कादरचौक गंजडुण्डवारा रोड पर नगला गनी गौड़ के पास कही जाने की फिराक में है तो वह अपने हमराहीयान— प्रवीन चौधरी कांस्टेवल, हेड कांस्टेवल अजय कुमार के साथ सूचना पर विश्वास करके मौके पर पहुँचे और एक दूसरे की जामा तलाशी लेकर एक बारगी दबिश व घेर कर अभियुक्त रामनिवास पुत्र हेतराम निवासी नगला टिकुरी को पकड़ लिया जिसकी जामा तलाशी में दाहिने फेट से एक देसी तमंचा 315 बोर जिसकी नाल में एक खोखा कारतूस 315 बोर फसा हुआ था, बरामद किया। अभियुक्त से तमंचा रखने का कारण पूछा तो बताया साहब ये वही तमंचा है जिससे उसने बाबुराम पुत्र परमेश्वरी को गोली मारी थी। तमंचा व खोखा को मौके पर ही सील सर्व मोहर तैयार किया गया। न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों का पूर्ण पालन करते हुये गिरफ्तारी मीमो व चौक लिस्ट मौके पर तैयार किये गये जो पत्रावली पर कागज संख्या 20ब/12 लगायत 20ब/14 मौजूद है जिन पर उसके तथा गिरफ्तारी मीमों पर अभियुक्त रामनिवास व हमराहीयान के हस्ताक्षर है। गिरफ्तारी मीमों व चेकलिस्ट पर क्रमशः प्रदर्श—क—8 व प्रदर्श—क—9 डाला गया। मौके पर फर्द बरामदगी उसके द्वारा तैयार कर गवाहान व अभियुक्त को सुनाकर हस्ताक्षर कराये गये। अभियुक्त की गिरफ्तारी 11:10 बजे पर करके हिरासत में लिया गया। थानें पहुँचकर अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना उसकी पत्नी गुड्डो को अभियुक्त द्वारा बताये गये मोबाइल नम्बर पर दी गई। पत्रावली पर फर्द बरामदगी कागज संख्या 8अ मौजूद है, जिस पर उसके व हमराहीयान व अभियुक्त रामनिवास के हस्ताक्षर है। अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श—क—10 डाला गया। तद्पश्चात अभियुक्त को हवालात मर्दाना में दाखिल कराये जाने के पश्चात अभियुक्त रामनिवास का बयान अंकित किया। दिनांक 05—01—2024 को सीडी संख्या 03 किता की गई, जिसमें मजरूब बाबूराम की मेडीकल की छायाप्रति प्राप्त व संलग्न किया गया। दिनांक 06—01—2024 को अभियुक्त किताब सिंह का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्राप्त व अवलोकन कर संलग्न सीडी किया गया। दिनांक 18—01—2024 को सीडी संख्या 05 किता करते हुये अभियुक्त किताब सिंह का रोबकार आत्मसमर्पण प्राप्त व अवलोकन कर संलग्न सीडी किया गया। दिनांक 19—01—2024 मजरूब के मेडीकल रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त व अवलोकन कर संलग्न सीडी की गई। दिनांक 23—01—2024 को सीडी संख्या 07 किता की गई, जिसमें अभियुक्त किताब सिंह के द्वारा 161 सी.आर.पी.सी. के बयान अंकित किये जाने हेतु कारागार में निरूद्ध अभियुक्त की पी.सी.आर. हेतु प्रार्थना—पत्र दिया गया तथा न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर अभियुक्त किताब सिंह का बयान अंकित किया तथा बयानों में उसने बताया कि घटना में प्रयुक्त तमंचा कादरगंज गंगा पुल के पास कादर चौक की तरफ जाने वाले रास्ते पर खड़ी पतैल झाड़ियों में फेंक दिया था। वह उक्त तमंचा वहाँ चलकर बरामद करा सकता है। दिनांक 24—01—2024 को सीडी संख्या 08 किता की गई, जिसमे वादी मुकदमा रामवीर का बयान अंकित कर उसकी

निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया, जो पत्रावली पर कागज संख्या 10 अ/1 मौजूद है, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श–क–11 डाला गया। तत्पश्चात वादी मुकदमा की माँ ओमवती व मजरूब बाबूराम का बयान अंकित किया। दिनांक 29–01–2024 को अभियुक्त किताब सिंह से तमंचा बरामदगी हेतु माननीय न्यायालय में अभियुक्त का पी.सी.आर. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा न्यायालय के आदेश की छायाप्रति संलग्न सीडी की गई। दिनांक 30–01–2024 को न्यायालय का आदेश पी.सी.आर. अभियुक्त प्राप्त व अवलोकन कर संलग्न सीडी किया गया। दिनांक 31–01–2024 के माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभियुक्त किताब सिंह को गंगापुल पार खादर चौक की तरफ खड़ी झाड़ी के पास पहुँचकर झाड़ियों में से 01 अदद तमंचा 315 बोर अभियुक्त ने निकाल कर दिया, जिसकी फर्द बरामदगी मौके पर उसके द्वारा तैयार की गई, जो पत्रावली पर कागज संख्या 08अ/2 मौजूद है, जिस पर उसके व हमराहीयान तथा अभियुक्त किताब सिंह के हस्ताक्षर है, अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श–क–12 डाला गया। तत्पश्चात फर्द गवाह कॉस्टेबल रजनीश कुमार व पी.आर.डी. पान सिंह के बयान अंकित किये गये। बरामदगी व बयानों के आधार पर धारा 307, 504 के साथ धारा 34 आईपीसी व 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई। दिनांक 07–02–2024 को सीडी संख्या 13 व 08–02–2024 को सीडी संख्या 14, दिनांक 10–02–2024 को सीडी संख्या 15 व 13–02–2024 को सीडी संख्या 16 में विवेचना करते हुये मजरूब के मेडिकल, अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र इत्यादि प्राप्त व अवलोकन व संलग्न सीडी करते हुये वादी मुकदमा रामवीर के मजीद बयान तथा वादी की बहन विनीता का बयान अंकित किया। दिनांक 16–02–2024 को सीडी संख्या 17 किता की गई। उपरोक्त मु०अ०सं० 181/23 से सम्बंधित माल मुकदमा भी तमंचा 315 बोर के दो माननीय न्यायालय में अलग–अलग सील बंद कपड़े में मौजूद है। अभियुक्त रामनिवास से बरामद तमंचा सील बंद कपड़े पर अभियुक्त का नाम व सील तथा मुकदमा उपरोक्त की गवाह है जिसपर उसके हस्ताक्षर है सीलबंद कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–01 डाला गया। सील बंद कपड़े को खोलकर देखा गया जिसमें एक तमंचा 315 बोर निकला जिसपर वस्तु प्रदर्श–02 डाला गया। तमंचे को खोलकर देखा गया जिसकी नाल में एक खोखा कारतूस फंसा हुआ है जिस पर वस्तु प्रदर्श–03 डाला गया। दूसरे अभियुक्त से बरामद तमंचा सीलबंद कपड़े में मौजूद है सीलबंद कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–04 डाला गया। सीलबंद कपड़े को खोलकर देखा गया जिसके अंदर एक तमंचा 315 बोर का निकला। तमंचे पर वस्तु प्रदर्श–05 डाला गया। बरामदगी के समय दोनों तमंचे चालू हालत में थे। दिनांक 31–1–2024 को वह थाना सिकंदरपुर वैश्य में एस.आई. के पद पर कार्यरत था तथा उसके द्वारा मु०अ०सं० 185/2023 की विवेचना सम्पादित की जा रही थी। उक्त दिनांक को वह मय हमराही का० 923 रजनीश कुमार, पी.आर.डी. 5006 पान सिंह, जिला कारागार कासगंज से अभियुक्त किताब सिंह पुत्र रामपाल निवासी टिकुरी, थाना सिकंदरपुर वैश्य को नियमानुसार कस्टडी लेकर थाना वापस आया। उसके बाद उक्त दिनांक को ही उपरोक्त अभियुक्त किताब सिंह द्वारा गंगा पुल पार कादरचौक की तरफ पटेल की झाड़ियों से एक अदद तमंचा 315 बोर निकाल कर दिया। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि यह वही तमंचा है जिससे उसने घटना वाले दिन फायर किया था तथा बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही तैयार मौके पर किया गया था, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जो पत्रावली के कागज संख्या 10अ/2

पर मौजूद है। वह अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता है। जिस पर प्रदर्श क–13 डाला गया। पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 11अ/1 अभियोजन स्वीकृति आदेश, जिस पर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट कासगंज के हस्ताक्षर मौजूद हैं, जिस पर प्रदर्श क–14 डाला गया।

इस साक्षी द्वारा जिरह में कथन किये गये हैं कि दौरान विवेचना उसने एफ.आई.आर. का अवलोकन किया था। एफ.आई.आर. 6.30 घण्टे बिलम्ब से थी। घटनास्थल से थाने की दूरी मात्र 15 किमी० थी। मुकद्दमा वादी ने एफ.आई.आर. विलम्ब से लिखाये जाने का कारण न तो अपनी एफ.आई.आर. में लिखा था और न ही उसे दिये गये बयान में लिखा है। मुकद्दमा वादी ने एफ.आई.आर. व धारा 180 बी.एन.एस.एस. (161 दं.प्र.सं.) के बयानों में घटनास्थल पर विनीता का होना नहीं बताया था अर्थात विनीता घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी। एफ.आई.आर. के क्रमांक नम्बर 14 पर मुकद्दमा वादी/शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर अंगूठा निशानी नहीं था। एफ.आई.आर. क्रमांक नम्बर 15 पर अदालत को भेजने की समय व दिनांक अंकित नहीं था। एफ.आई.आर. सी. आर.पी.सी. की धारा–154 के अनुरूप नहीं थी। फिर विवेचक ने कहा कि एफ.आई.आर. कहॉ अनुरूप नहीं थी। दिनांक 23.12.2023 को मुखबिर से सूचना कहॉ मिली थी उसे ध्यान नहीं है। उन लोगों ने आपस में जामातलाशी बरामदगी स्थल से कितनी दूर पहले व कितनी देर पहले ली थी याद नहीं है। उसकी जामातलाशी किसने ली और उसने किसकी जामा तलाशी ली याद नहीं है। मुखबिर कहां से वापस चला गया और कितने बजे चला गया था यह भी याद नहीं है। उसने मुल्जिम रामनिवास को कितनी दूरी से देख लिया था और कितने बजे देख लिया था याद नहीं है। मुल्जिम रामनिवास को सबने मिलकर गिरफ्तार किया था। मुल्जिम उन लोगों को देखकर भागकर कोशिश की थी किस दिशा से किस दिशा को भागने की कोशिश की थी यह याद नहीं है। तमंचे की नाप उसके द्वारा की गई थी। पहले माल सील किया था फिर फर्द लिखी थी। माल सील करने में कितना समय लगा था याद नहीं है। फर्द किस समय में लिखी गई थी याद नहीं है। फिर कहा 25 मिनट में लिखी गई थी। थाने आने में कितना समय लगा याद नहीं है। बरामदगी स्थल पर किस वाहन से गये थे यह भी याद नहीं है। बरामदगी स्थल एक आम रास्ता था। आम जनता का आना जाना लगा रहता है। यह बात सही है कि बरामदगी का कोई जनता का स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षी नहीं है। यह बात सही है कि अभियुक्त रामनिवास से बरामदगी का फोटो व वीडियोग्राफी/इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मौजूद नहीं है। यह बात सही है कि उसने मुकदमा अ०सं० 185/23 धारा–307, 504 भा.दं.सं. की विवेचना में यह बरामदगी दर्शायी है। इस केस का आरोप पत्र उसके द्वारा दाखिल नहीं किया गया है। मुल्जिम रामनिवास को गिरफ्तार करके लाया गया था किस संतरी पहरा ने जामा तलाशी ली थी यह याद नहीं है। संतरी द्वारा जामा तलाशी से रामनिवास से क्या मिला था यह भी याद नहीं है। बरामद शुदा तमंचा विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा गया था। फर्द बरामदगी में लोहा नाल की लम्बाई एक बालिश्त लिखी गयी है। मान० न्यायालय में खोले गये तमंचे में उसकी बालिस्त से दो अंगुल कम है। फर्द बरामदगी में बाडी 5 अंगुल की लिखी हुई है। प्रश्न– क्या फर्द बरामदगी में नाल लोहा की लम्बाई एक बालिश्त व बॉडी 5 अंगुल अंकित है या नहीं? उत्तर– नाल लोहा की लम्बाई अंकित नहीं है, बॉडी 5 अंगुल अंकित है। प्रश्न– क्या फर्द बरामदगी में एक बालिश्त नाल लोहा अंकित है या नहीं? उत्तर– फर्द बरामदगी में तमंचे का हुलिया एक बालिश्त अंकित है। जिसके आगे क्रम नाल लोहा अंकित है। प्रश्न– क्या मान० न्यायालय में खोले गये तमंचे की नाल लोहा की लम्बाई एक बालिश्त से

कम है? उत्तर– जी, हां। यह बात सही है कि फर्द बरामदगी में बॉडी 5 अंगुल की है। यह बात सही है कि दिनांक 23.12.2023 की आमदगी जी.डी. पर मौजूद नहीं है। इस केस के वादी रामवीर, ओमवती व बाबूराम का बयान उसके द्वारा अंकित किया गया है। धारा 161 दं.प्र.सं. के बयान रामवीर, ओमवती, बाबूराम ने घटना देखने वालों में विनीता का नाम नहीं बताया है कि विनीता कोई घटना देखी हो। विनीता इस घटना की चक्षुदर्शी साक्षी नहीं थी। यह कहना गलत है कि उसने रामनिवास से फर्जी बरामदगी दर्शायी थी। यह कहना भी गलत है कि वह न्यायालय में गलत बयान दे रहा है।

तमंचे की बरामदगी अभियुक्त के बयान के अनुसार हुई थी। अभियुक्त का बयान न्यायिक अभिरक्षा में लिये गये थे। और इस बयान के अनुसार उसके द्वारा अभियुक्त को द्वारा बताये गये बरामदगी स्थल पर जाता। खोजबीन की गयी तब उसे तमंचा बरामद नहीं हुआ। इस उपरान्त उसने अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लिया जिससे अभियुक्त को बरामदगी स्थल पर ले जाकर बरामदगी की जा सके। रिकवरी स्थल एक आम रास्ते के पास था जहाँ लोगों का निकलना बैठना होता रहता था। अभियुक्त निशान देही पर बरामदगी की गयी थी। बरामदगी स्थल पर कोई भी जनता का गवाह मौजूद नहीं था। वादी अथवा किसी भी चश्मदीद ने घटना स्थल पर विनीता का मौजूद होना न तो एफ.आई.आर. में बताया है और न ही 161 दं.प्र.सं. के बयान में बताया है। फर्द बरामदगी में बैरल लोहा लम्बाई 7 अंगुल बतायी गयी है जबकि वर्तमान समय में मौजूद तमंचे के बैरल लोहा लम्बाई 8 अंगुल है। यह कहना गलत है कि वह न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा है। नक्शानजरी उसने अभियुक्त किताब सिंह की निशानदेही पर बनाया था। कोई आम जनता का साक्षी मौजूद नहीं था न वादी को साथ लेकर नहीं गया था। कोई वीडियो ग्राफी नहीं कराई गई थी। अभियुक्त किताव सिंह को साथ ले जाने से पूर्व भी वह इस स्थान पर तमंचे की तलाश में गया था। यह बात उसे किताब सिंह ने जेल में ही बता दी थी। उसे ध्यान नहीं है कि अभियोजन स्वीकृति के लिए उसने प्रार्थना पत्र कब दिया था। अभियोजन स्वीकृति के लिए बरामदशुदा तमंचा भेजा गया था। यह कहना गलत है कि उसके द्वारा बरामदगी स्थल पर पूर्व से ही तमंचा रख दिया गया हो तथा बरामदगी दिखा दी गई हो। इस केस में अभियोजन स्वीकृति के द्वारा ली गई है। अभियोजन स्वीकृति किस दिनांक को ली गई है इसका उसे ध्यान नहीं है। यह बात सही है कि अभियोजन स्वीकृति का प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय को देने व तमंचा कारतूस ले जाने की रवानगी जी.डी. इस पत्रावली पर मौजूद नहीं है। इस केस के अभियुक्त रामनिवास से तमंचा कारतूस की बरामदगी उसके द्वारा की गई है। अभियुक्त रामनिवास से बरामद तमंचा कारतूस की नक्शा नजरी भी उसके द्वारा तैयार कर दौरान विवेचना दाखिल की गई है। यह बात सही है कि अभियुक्त रामनिवास को धारा 3/25 आयुध अधिनियम वादी भी वह था तथा विवेचक भी रहा था। इस केस की चार्जशीट विवेचक एस.आई. गोपाल सिंह द्वारा दाखिल की गई है। यह कहना गलत है कि तमंचा कारतूस बरामद न हुआ हो। यह कहना भी गलत है कि रामनिवास से उसने फर्जी बरामदगी दर्शाकर स्वयं विवेचना कर दूसरे विवेचक से फर्जी आरोप पत्र दाखिल करा दिया हो।

14. साक्षी पी.डब्लू.–8 कॉ. पुष्पेन्द्र सिंह ने अपने सशपथ बयान में कथन किये हैं कि दिनांक 22–12–2023 को वह थाना सिकन्दरपुर वैश्य जनपद कासगंज में सी.सी. के पद पर कार्यरत था उक्त दिनांक को वादी मुकद्दमा रामवीर सिंह पुत्र बाबूराम एक तहरीर स्वहस्ताक्षरित अवधेश पुत्र अरबसिंह के लेख में उसकी

ड्यूटी के दौरान थाना कार्यालय पर लाकर दी उक्त तहरीर के द्वारा उसने एक एफ.आई.आर. चिक जिसका मु०अ०सं० 185/2023 अन्तर्गत धारा 307, 504, आई.पी.सी. विरुद्ध अभियुक्तगण किताब सिंह व रामनिवास कम्प्यूटर से किता की थी जो पत्रावली पर कागज संख्या 5अ/1 लगायत 5अ/2 पर मौजूद है जिस पर एसएचओ सिकन्दरपुर वैश्य के हस्ताक्षर मौजूद हैं वह उनके हस्ताक्षर की शिनाख्त करता है उक्त मुकद्मे का खुलासा उसने जीडी नं0 26 को किया था जीडी उसके द्वारा कम्प्यूटर से किता की गई थी। जीडी पर पूर्व से एसएचओ महोदय के हस्ताक्षर मौजूद हैं जीडी को वह प्रमाणित करता है। एफ.आई.आर. चिक पर पूर्व से प्रदर्श क–6 व जी.डी. पर पूर्व से प्रदर्श क–7 पड़ा है। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

इस साक्षी द्वारा जिरह में कथन किये गये हैं कि उसके पास लिखित तहरीर वादी रामवीर लेकर आया था। तहरीर हाथ से लिखी हुई थी। तहरीर को अवधेश पुत्र अरव सिंह ने लिखा था। वादी मुकदमा द्वारा तहरीर नहीं लिखी गई थी। तहरीर किताब सिंह व रामनिवास के खिलाफ लिखी गई थी। पीड़ित को मजरूबी चिट्ठी देकर पूर्व में ही रवाना कर दिया गया था। तहरीर प्राप्त होते ही मुकद्मा दर्ज कर दिया गया था। उसके द्वारा मुकदमा लिखने से पूर्व कोई जॉच हड़ताल नहीं की गई थी। तहरीर के आधार पर मुकद्मा पंजीकृत कर दिया गया था। प्रश्न– मुकद्मा की सत्यता पता करना आपका काम नहीं है? उत्तर– पहले मजरूब थाने पर घायल अवस्था में आये थे उसके बाद तहरीर प्राप्त हुई थी उसके बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तहरीर पर लेखक अवधेश पुत्र अरवसिंह के हस्ताक्षर थे। तहरीर पर वादी मुकदमा के भी हस्ताक्षर थे। मुकद्मा उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार पंजीकृत किया जाता है। दरोगा जी द्वारा उसने बयान लिये गये थे। मजरूब को चिट्ठी उसके द्वारा दी गई थी। मजरूब को थाने नहीं लाये थे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर गई थी। उसे याद नहीं है कि थाने पर सूचना किसने दी थी। चुटैल थाने नहीं आया था। चुटैल का लड़का एफ.आई.आर. लिखाने थाने आया था। यह कहना सही है कि मुकदमा वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट साढ़े छः घण्टे विलम्ब से दर्ज कराई थी। यह कहना भी सही है कि मुकदमा वादी ने देरी का कारण एफ.आई.आर. में नहीं लिखाया था। यह कहना सही है कि घटनास्थल की दूरी थाने से पन्द्रह किमी. दूर थी। यह सही है कि एफ.आई.आर. के कॉलम नं0 14 में मुकदमा वादी का हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा नहीं है। यह कहना सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कॉलम नं0 15 में न्यायालय को प्रथम सूचना रिपोर्अ भेजने का दिनांक व समय अंकित नहीं है। यह कहना गलत है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते समय धारा 154 सी.आर.पी.सी. के प्रावधानों का पालन न किया हो।

<u>बयान अभियुक्तगण अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं०</u>

15. अभियोजन पक्ष की साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त धारा–232 दं०प्र०सं० के तहत दोषमुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त न पाते हुए अभियुक्तगण के ब्यान अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. अंकित किया गया। अभियुक्त किताब सिंह ने अपने बयानों में घटना को गलत बताया है तथा साक्षीगण द्वारा गलत बयान दिया जाना अभिकथित किया है और कथन किये कि जी मैं निर्दोष हूँ गांव की पार्टीबन्दी की वजह से मुझ पर झूठा मुकदमा लिखा दिया था एवं अभियुक्त रामनिवास ने अपने बयान में कथन किये है कि गलत है। झूठी बरामदगी दर्शाकर, गलत प्रपत्र तैयार कर साबित किये गये। गलत एफ.आई.आर. दर्ज की। जी हॉ, प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। गांव की पार्टीबन्दी व मनमुटाव के कारण वादी व चुटैल को बिना बताये झूठा

फसाया गया है। अभियुक्तगण को सफाई साक्ष्य का अवसर दिया गया, परन्तु सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया ।

16. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहयक जिला शासकीय अधिवक्ता 'फौजदारी' के तर्को को सविस्तार सुना गया।

विवेचन

17. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये साक्षीगण पी.डब्लू.–1 वादी रामवीर, पी.डब्लू.–2 चुटैल बाबूराम व पी.डब्लू.–3 ओमवती पत्नी बाबूराम के द्वारा घटना का कोई समर्थन नहीं किया गया है उक्त साक्षीगण पक्षद्रोही हो गये हैं साक्षी पी.डब्लू.–4 साक्षी मजरूब की सगी पुत्री होने के नाते हितबद्ध साक्षी है, पी.डब्लू.–4 विनीता का घटना के समय उपस्थित न होना विवेचक के द्वारा अभिकथित किया गया है ऐसी दशा में उसके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। साक्षीगण के साक्ष्य में घोर विरोधाभास है। अभियोजन पक्ष अपने कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्तगण निर्दोष हैं तथा दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

18. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि यद्यपि कि पी.डब्लू.–1, पी.डब्लू.–2 व पी.डब्लू.–3 पक्षद्रोही हो गये है, परन्तु उनका ऐसा साक्ष्य जो अभियोजन कथानक से संगत है पठनीय है, पी.डब्लू.–4 विनीता पुत्री बाबूराम के द्वारा घटना का पूर्ण समर्थन किया गया है। अभियुक्तगण से घटना में उपयोग किये गये आग्नेय आयुध बरामद हैं। अभियोजन पक्ष अपने कथानक को प्रस्तुत साक्ष्य से युक्तियुक्त ढंग से संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है तथा अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

19 . अभियोजन पक्ष व बचावपक्ष के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को के आलोक में पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य का निम्नवत् विश्लेषण किया जा रहा है–

20. उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा रामवीर के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट इन कथनों के साथ अंकित करायी गयी कि– ""प्रार्थी रामवीर पुत्र बाबूराम नि०ग्राम नगला टिकुरी थाना सि०पुर वैश्य जनपद कासगंज का मूल निवासी हूँ। मैं अपने ट्रैक्टर से खेत जोतते समय मेड़ कट गयी थी। इसी बात को लेकर मेरे गांव के रामनिवास पुत्र हेतराम व किताब सिंह पुत्र रामपाल मेरे घर आकर घर बाहर झोपडी में बैठे हुये मेरे पिताजी बाबूराम पुत्र पनमेश्वरी पर रामनिवास ने तमंचा निकालकर मेरे पिताजी के ऊपर समय करीब 8 बजे सुबह जान से मारने की नीयत से फायर मारा जो मेरे पिताजी बाबूराम के दाहिने कन्धे में गोली लगने पर मेरे पिताजी चारपाई पर गिर गये इतने में किताब सिंह पुत्र रामपाल ने तमंचा निकालकर मेरे पिताजी के ऊपर फायर किया जो मेरे पिताजी के सिर के ऊपर से निकल गया घटना को मैं व मेरी मॉ ओमवती देख रहे थे जब हमने शोर मचाया तो रामनिवास व

किताब सिंह गाली देते हुये भाग गये श्रीमान जी मैं थाने सूचना देने आया हूँ मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।''

21. उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के आलोक में परीक्षित साक्षीगण पी.डब्लू.–1 वादी रामवीर, पी.डब्लू.–2 चुटैल बाबूराम व पी.डब्लू.–3 ओमवती पत्नी बाबूराम के साक्ष्य को देखे जाने पर उक्त साक्षीगण न्यायालय में परीक्षण के दौरान पक्षद्रोही हो गये हैं। तथ्य के साक्षीगण में से एक मात्र पी.डब्लू.–4 विनीता के द्वारा ही अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन किया गया है।

पक्षद्रोही साक्षीगण के साक्ष्य के विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विधि व्यवस्था Zahira Habibullah Sheikh & Anr vs State Of Gujarat & Ors AIR 2006 SUPREME COURT 1367 में अभिमत प्रदान किया गया है कि:-

"frequent turning of witnesses as hostile, either due to threats, coercion, lures and monetary considerations at the instance of those in power, their henchmen and hirelings, political clouts and patronage and innumerable other corrupt practices ingeniously adopted to smother and stifle truth and realities coming out to surface rendering truth and justice, to become ultimate casualties."

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा मत व्यक्त किया गया है कि अक्सर गवाहों का मुकर जाना (होस्टाइल हो जाना) एक आम बात हो गई है। ऐसा या तो शक्ति सम्पन्न लोगों, उनके गुर्गों और किराए के लोगों के कहने पर धमकी, दबाव, लालच और पैसे के लेन–देन की वजह से होता है। इसके अलावा, राजनीतिक रसूख और संरक्षण का इस्तेमाल करके, और कई तरह के भ्रष्ट तरीकों से सच्चाई और असलियत को सामने आने से रोका जाता है, जिससे न्याय नहीं मिल पाता।

पुनः पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य के विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विधि व्यवस्था State of U.P. v. Ramesh Prasad Misra, (1996) 10 SCC 360 में अभिमत प्रदान किया गया है कि:- "Evidence of a hostile witness would not be totally rejected if spoken in favour of the prosecution or the accused but required to be subjected to close scrutiny and that portion of the evidence which is consistent with the case of the prosecution or defence can be relied upon."

उक्त अभिमत की पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Balu Sonba Shinde v. State of Maharashtra, (2002) 7 SCC 543, Radha Mohan Singh v. State of U.P., (2006) 2 SCC 450 तथा Sarvesh Narain Shukla v. Daroga Singh, (2007) 13 SCC 360 में भी की गयी है।

पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विधि व्यवस्था Khujji @ Surendra Tiwari v- State of M.P., (1991) 3 SCC 627, व Bhagwan Singh v. State of Haryana, (1976) 1 SCC 389 में यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर दिये जाने मात्र से उसका सम्पूर्ण साक्ष्य विधितः अग्राह्य नहीं हो जाता। इसी क्रम में Ramesh Harijan v. State of U.P., (2012) 5 SCC 777 में अभिमत प्रदान किया गया है कि:–

"It is settled legal proposition that the evidence of a prosecution witness cannot be rejected in toto merely because the prosecution chose to treat him as hostile and cross-examine him- The evidence of such witnesses cannot be treated as effaced or washed off the record altogether but the same can be accepted to the extent that their version is found to be dependable on a careful scrutiny there of."

अर्थात सिर्फ इसलिए कि अभियोजन पक्ष ने किसी गवाह को 'होस्टाइल' (पक्षद्रोही) माना और उससे जिरह (cross-examination) की, उस साक्षी के साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। ऐसे गवाहों के साक्ष्य को अभिलेख से पूरी तरह मिटाया या खत्म नहीं माना जा सकता, बल्कि, अगर सावधानीपूर्वक जांच–पड़ताल के बाद उसका वह भाग जो भरोसेमंद पाया जाता है, तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में यह देखा जाना आवश्यक है कि पक्षद्रोही घोषित तीनों साक्षीगण के द्वारा अपने साक्ष्य में ऐसा क्या स्वीकार किया गया है जो अभियोजन कथानक के अनुरूप है।

22. पी.डब्लू.–1 रामवीर (वादी मुकदमा) के द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य स्पष्टतः स्वीकार किये गये हैंः–

(क) "यह बात सही है कि 22–12–23 को सुबह करीब आठ बजे उसके पिताजी बाबूराम के कन्धे में फायर की गोली लगी थी",

(ख) "यह कहना भी सही है कि उसने उस गोली की आवाज सुनी थी। गोली की आवाज उसकी माँ ने भी सुनी थी",

(ग) "यह कहना सही है कि यह गोली तमंचे से चलायी थी",

(घ) "यह कहना सही है कि उसने थाने में जो एफ.आई.आर. लिखायी थी उसमें घटना के चश्मदीद गवाह में अपना और अपनी माँ ओमवती का नाम लिखाया था",

(ङ) "यह कहना भी सही है कि उसने अपनी एफ.आई.आर. में घटना के मुल्जिमान किताब सिंह व रामनिवास का नाम लिखवाया था",

(च) "यह कहना सही है कि उसने एफ.आई.आर. में लिखाया था कि रामनिवास पुत्र हेतराम ने तमंचा निकालकर उसके पिताजी को जान से मारने की नियत से फायर किया था जो उनके दाहिने कन्धे में लगना एफ.आई.आर. में लिखाया था। एफ.आई.आर. में उसने किताब सिंह पुत्र रामपाल द्वारा भी उसके पिताजी के ऊपर फायर किया जाना लिखवाया था",

(छ) "यह बात सही है कि उसके ट्रैक्टर से रामनिवास और किताब सिंह के खेत की मेड़ कट गयी थी"।

पुनः इसी साक्षी के द्वारा पत्रावली पर संलग्न तहरीर कागज संख्या 5अ/03 को देखकर कहा गया है कि "यह वही तहरीर है जो उसने थाने में एफ.आई.आर. पंजीकृत करते हुए दी थी, तहरीर पर उसके हस्ताक्षर हैं जिनकी वह शिनाख्त करता है", जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।

23. पी.डब्लू.–2 बाबूराम (मजरूब) के द्वारा अपने साक्ष्य में निम्नलिखित तथ्य स्वीकार किये गये हैंः–

(क) उसके खेत के पास में ही रामनिवास व किताब सिंह का खेत है तथा किताब सिंह रामनिवास के सगे भतीजे हैं,

(ख) "खेत की मेड़ को लेकर उसकी और किताब सिंह व रामनिवास की आपस में कहा सुनी हो गयी थी" तथा "खेत जोतते समय मेड़ कटने को लेकर एक दिन पहले भी कहा सुनी हुई थी",

(ग) वह घटना के समय घर के बाहर चारपाई पर लेटा हुआ था,

(घ) "कुल दो अभियुक्तों ने तमंचों से फायर किये थे, दोनों के पास एक–एक तमंचा था",

(ङ) "यह कहना सही है कि उसके ऊपर जान से मारने की नियत से फायर हुए थे",

(च) "यह कहना सही है कि यह मुकदमा किताब सिंह व रामनिवास के खिलाफ चल रहा है",

(छ) "वह रामनिवास व किताब सिंह को अच्छी तरह से जानता पहचानता है, ये उसके पड़ोस के रहने वाले हैं"।

(ज) मुझे देखने रामनिवास व किताब सिंह भी आये थे। (अर्थात अभियुक्तगण की उपस्थिति घटनास्थल पर रही)

24. पी.डब्लू.–3 ओमवती के द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में निम्नलिखित अत्यन्त महत्वपूर्ण स्वीकारोक्तियाँ की गयी हैंः–

(क) "यह कहना सही है कि घर की रिपोर्ट उसके बेटे रामवीर ने लिखवायी थी। <u>यह बात भी सही है कि उसके बेटे ने जो रिपोर्ट लिखवायी थी वह भी सही लिखवायी थी</u>।"

(ख) "यह कहना सही है उसके पति को जान से मारने की नियत से उनके ऊपर फायर किये गये थे और वो घायल भी हुए थे और उनका इलाज भी चला था",

(ग) "यह कहना सही है कि किताब सिंह व रामनिवास का खेत उनके खेत के पास है, वह किताब सिंह व रामनिवास को पहचानती है",

(घ) "यह कहना सही है कि उसके पति पर जानलेवा हमला से एक दिन पहले खेत की मेड़ को लेकर उसके पति व बेटे का रामनिवास व किताब सिंह से विवाद हुआ था",

(ङ) "यह कहना सही है कि उसके पति को जब गोली लगी थी तब वो घर के बाहर चारपाई पर लेटे हुए थे"।

पी.डब्लू.–3 ओमवती की स्वीकारोक्ति अत्यन्त सारवान है। उक्त साक्षी, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही नामित चश्मदीद साक्षी है, के द्वारा शपथ पर यह स्वीकार किया गया है कि उसके बेटे रामवीर के द्वारा जो रिपोर्ट लिखवायी गयी थी, वह सही लिखवायी गयी थी। जब प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1 में अभियुक्तगण किताब सिंह एवं रामनिवास का नाम, उनके पृथक–पृथक कृत्य तथा उपहति का स्थल विशिष्ट रूप से अंकित

है, तथा उसी रिपोर्ट को घटना की चश्मदीद साक्षी के द्वारा शपथ पर "सही" स्वीकार किया गया है, तब यह स्वीकारोक्ति सारवान साक्ष्य की कोटि की है, न कि मात्र पूर्व कथन की।

यद्यपि कि साक्षीगण पी.डब्लू.–1, पी.डब्लू.–2, पी.डब्लू.–3 पक्षद्रोही हुये, परन्तु पक्षद्रोही रूप में दिये गये उनके साक्ष्य में स्वयं में आन्तरिक असंगतियाँ हैं यथा

25. पक्षद्रोही साक्षीगण के द्वारा न्यायालय में जो नवीन कथानक प्रस्तुत किया गया है – अर्थात् "दो अज्ञात, मुँह पर ढाटा बाँधे मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों" के द्वारा घटना कारित किया जाना – यह साक्ष्य साक्षीगण के स्वयं के साक्ष्य से असंगत है।

(क) पी.डब्लू.–1 रामवीर के द्वारा बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में कहा गया है कि "घटना स्थल से उसका घर पाँच सौ मीटर दूर है" तथा "घटना स्थल गाँव से दूर है वहाँ और आमलोगों का आना जाना नहीं रहता है" एवं घटना उसके खेत के पास हुई थी। इसके पूर्णतः प्रतिकूल पी.डब्लू.–2 बाबूराम, जो स्वयं मजरूब है तथा जिसकी घटनास्थल पर उपस्थिति पर सन्देह सम्भव नहीं किया जा सकता है, के द्वारा कहा गया है कि वह "घर के बाहर चारपाई पर लेटा हुआ था" तथा गोली लगने पर "वह वहीं चारपाई से गिर गया" और आवाज सुनकर "उसका बेटा रामवीर, पत्नी ओमवती घर से बाहर आ गये"।

यदि घटना घर से पाँच सौ मीटर दूर खेत पर घटित हुई होती, तो मजरूब का "घर के बाहर चारपाई पर लेटे" होना, गोली लगने पर "चारपाई से गिरना" तथा पत्नी व पुत्र का "घर के अन्दर से आवाज सुनकर बाहर निकलना" – तीनों ही सर्वथा असम्भव होते। इसी प्रकार पी.डब्लू.–1 का यह कथन कि घटनास्थल पर आम लोगों का आना–जाना नहीं रहता, तथा पी.डब्लू.–3 का यह कथन कि वहाँ आम लोगों का आना–जाना रहता है – परस्पर विरोधी हैं।

26. इस प्रकार पक्षद्रोही साक्षीगण के द्वारा प्रस्तुत पक्षद्रोही कथानक न केवल परस्पर असंगत है, अपितु स्वयं उनके ही अन्य कथनों से खण्डित होता है। इसके प्रतिकूल, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1 में अंकित कथानक – ''कि मजरूब घर के बाहर झोपड़ी में बैठा/लेटा था, अभियुक्तगण वहाँ आये, रामनिवास ने तमंचा निकालकर दाहिने कन्धे पर फायर किया, तत्पश्चात् किताब सिंह ने फायर किया जो सिर के ऊपर से निकल गया, तथा शोर मचाने पर दोनों भाग गये''– पत्रावली पर समस्त उपलब्ध साक्ष्य से पूर्णतः संगत बैठता है, यथा–

(क) घटनास्थल– घर के बाहर (पी.डब्लू.–2 एवं पी.डब्लू.–3 की स्वीकारोक्ति),

(ख) आयुध – तमंचा (तीनों साक्षीगण की स्वीकारोक्ति),

(ग) हमलावरों की संख्या– दो, प्रत्येक के पास एक–एक तमंचा (पी.डब्लू.–2 की स्वीकारोक्ति),

(घ) उपहति का स्थल– दाहिना कन्धा (तीनों साक्षीगण एवं चिकित्सीय साक्ष्य),

(ङ) एक ही फायर का लगना, दूसरे का न लगना (पी.डब्लू.–2 की स्वीकारोक्ति एवं चिकित्सीय साक्ष्य– केवल एक ही प्रवेश घाव),

(च) हेतुक– मेड़ का विवाद, घटना से एक दिन पूर्व कहा–सुनी (पी.डब्लू.–1, पी.डब्लू.–2 एवं पी डब्ल्यू.–3 की स्वीकारोक्ति)।

27. यह अत्यन्त सारवान है कि "दो व्यक्ति, दोनों के पास एक–एक तमंचा, दोनों ने फायर किया, एक फायर दाहिने कन्धे पर लगा" – यह विशिष्ट विवरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित विवरण से अक्षरशः मेल खाता है। यदि घटना वस्तुतः अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा कारित की गयी होती, तो मजरूब के द्वारा दिये गये इस विशिष्ट विवरण का प्रथम सूचना रिपोर्ट के विवरण से इस सीमा तक संगत होना संयोगमात्र नहीं हो सकता।

28. पी.डब्लू.–1, पी.डब्लू.–2 एवं पी.डब्लू.–3 – तीनों के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि ट्रैक्टर से खेत जोतते समय अभियुक्तगण किताब सिंह व रामनिवास के खेत की मेड़ कट गयी थी तथा इसी को लेकर उनसे कहा–सुनी हुई थी। पी.डब्लू.–2 एवं पी.डब्लू.–3 के द्वारा तो स्पष्टतः यह स्वीकार किया गया है कि घटना से ठीक एक दिन पूर्व मेड़ को लेकर विवाद हुआ था। घटना से एक दिन पूर्व का यह विवाद तथा उसके तत्काल पश्चात् प्रातःकाल घटित यह अपराध– दोनों में स्पष्ट कारण–कार्य सम्बन्ध विद्यमान है। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण का खेत मजरूब के खेत से सटा हुआ है तथा वे उसी ग्राम के, पड़ोसी हैं, जिन्हें साक्षीगण भली–भाँति पहचानते हैं।

29. इसके अतिरिक्त उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य के अवलोकन से –

चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क–2 पत्रावली पर विद्यमान है जिसमें मजरूब बाबूराम के शरीर पर 2 चोटें आना अंकित है। पुनः चिकित्सक साक्षी पी.डब्लू.–5 डॉ. रामलखन यादव के द्वारा अपने साक्ष्य में अभिकथित किया गया है कि दिनांक 22–12–2023 को समय 02:50 अपराह्न से 03:15 अपराह्न तक संयुक्त जिला चिकित्सालय, कासगंज में मजरूब बाबूराम, आयु लगभग 60 वर्ष, का चिकित्सीय परीक्षण किया गया, जिसमें निम्न चोटें पायी गयीं–

चोट सं.–01 – एक एण्ट्री वूण्ड (लैसिरेटिड वूण्ड), आकार 1.5 सेमी. × 0.5 सेमी. × 4 सेमी., दाहिने कन्धे पर अन्दर की तरफ, मांस की गहराई तक, घाव के किनारे अन्दर की तरफ (मार्जिन्स इनवर्टिड) तथा त्वचा जली हुई (स्किन बर्न)। एक्स–रे की सलाह दी गयी।

चोट सं.–02– एक खरोंचनुमा/रगड़नुमा घाव, आकार लगभग 5 सेमी. × 1.5 सेमी., जो चोट सं. –01 के चारों तरफ काली त्वचा (कालिमा) लिये हुए था। घाव से ताजा रक्त (रेड एण्ड ब्लैक) आ रहा था।

चिकित्सक के द्वारा स्पष्ट रूप से अभिमत दिया गया है कि उक्त चोटें किसी अग्न्यायुध (Fire Arm) से आना सम्भव है तथा चोटें ताजा थीं। चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क–2, रेफर स्लिप प्रदर्श क–3 के रूप में सिद्ध की गयी हैं।

पुनः पी.डब्लू.–5 के द्वारा प्रदर्श क–4 सप्लीमेण्टरी रिपोर्ट सिद्ध की गयी है, जो जे.एन.एम.सी., अलीगढ़ के रेडियोलॉजिस्ट/ट्रीटिंग डॉक्टर की आख्या तथा एक्स–रे रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गयी, जिसमें गर्दन के नीचे दाहिनी हसली (राइट क्लेविकल) के बाहरी हिस्से (लेटरल एण्ड) में अस्थि–भंग (फ्रैक्चर) पाया गया।

30. इस प्रकार चिकित्सीय साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि मजरूब बाबूराम को (क) प्रवेश घाव (entry wound) के लक्षणों सहित, (ख) घाव के किनारे अन्दर की ओर मुड़े हुए, (ग) त्वचा जली हुई तथा (घ) घाव के चारों ओर कालिमा (blackening) युक्त अग्न्यायुध की चोट आयी तथा उसकी हसली की हड्डी टूट

गयी। चिकित्सक के द्वारा प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि "मजरूब की चोट पर कालिमा थी। यह कालिमा चोट से 01 से 03 फुट तक आती है।" कालिमा एवं त्वचा का जलना निकट (close range) से किये गये फायर का सुनिश्चित द्योतक है।

31. यद्यपि कि साक्षीगण पी.डब्लू.–1 ता पी.डब्लू.–3 पक्षद्रोही हो गये परन्तु पी.डब्लू.–4 विनीता, जो मजरूब बाबूराम की पुत्री है, के द्वारा अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन करते हुए कथन किये गये हैं कि– ''घटना दिनांक 22–12–2023 को प्रातः 08:00 बजे की है, वह अपने घर के अन्दर काम कर रही थी, उस समय उसका भाई रामवीर तथा माता ओमवती भी घर में मौजूद थे, उसके पिताजी घर के बाहर बराबर में झोपड़ी में लेटे हुए थे, तभी बाहर शोर–शराबा व धमाके की आवाज सुनी, वह, उसका भाई व माता घर के बाहर निकले तो देखा कि पिताजी बाबूराम के कन्धे में गोली लगी है तथा किताब सिंह पुत्र रामपाल एवं रामनिवास, जिनके हाथ में नाजायज हथियार थे, जिन्होंने उनके पिताजी को गोली मार दी, जब तक वे बाहर आये तब तक वे लोग भाग लिये थे तथा उसने उन लोगों को देख लिया था।'' हेतुक के सम्बन्ध में इसी साक्षी के द्वारा कहा गया है कि– ''घटना से एक दिन पूर्व उसका भाई रामवीर ट्रैक्टर लेकर खेत जोतने गया था, वहाँ मेड़ को लेकर विवाद हो गया था।''

32. बचावपक्ष के द्वारा इस साक्षी के साक्ष्य पर तीन आधारों पर आक्षेप किया गया– (i) यह साक्षी मजरूब की सगी पुत्री होने के नाते हितबद्ध साक्षी है, (ii) प्रथम सूचना रिपोर्ट में इसका नाम चश्मदीद के रूप में अंकित नहीं है, तथा (iii) विवेचक पी.डब्लू.–7 के द्वारा स्पष्टतः कहा गया है कि "विनीता इस घटना की चक्षुदर्शी साक्षी नहीं थी"।

जहाँ तक हितबद्ध साक्षी होने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विधि व्यवस्था Madhu v. State of Karnataka, AIR 2014 SC 394 में अभिमत प्रदान किया गया है कि:-

"The word 'interested' implies that the witness is personally involved in seeing the accused sentenced for whatever reason… Simply because a witness is a relative of the victim does not make him or her an 'interested' witness. Only when a witness gains some benefit from the outcome of a civil case, such as seeing an accused person punished, can he or she be described as 'interested'."

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Namdeo v. State of Maharashtra, (2007) 14 SCC 150 में यह प्रतिपादित किया गया है कि सम्बन्धी साक्षी के साक्ष्य को मात्र सम्बन्ध के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता, अपितु उसका सतर्कतापूर्वक परीक्षण अपेक्षित है। प्रस्तुत प्रकरण में घटना मजरूब के घर के बाहर प्रातः 08:00 बजे घटित हुई, उस समय पुत्री का अपने पितृगृह में उपस्थित होना सर्वथा स्वाभाविक है – वह वस्तुतः एक स्वाभाविक साक्षी (natural witness) है। यह भी अभिलेख

पर है कि घटना के समय पी.डब्लू.–4 विनीता अविवाहित थी तथा उसका विवाह घटना के लगभग छः माह पश्चात हुआ। ऐसी दशा में उसकी उपस्थिति असम्भाव्य नहीं, अपितु प्रत्याशित है।

33. जहाँ तक प्रथम सूचना रिपोर्ट में इसका नाम अंकित न होने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विधि व्यवस्था Jitender Kumar v. State of Haryana, AIR 2012 SC 2488 में अभिमत प्रदान किया गया है कि:-

"FIR need not be an encyclopedia of all the facts and circumstances on which the prosecution relied- It only has to state the basic case."

अर्थात् प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई ऐसा विश्वकोश नहीं है, जिसमें समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों का सम्पूर्ण विवरण विद्यमान हो। प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा घटना से आहत एवं व्यथित अवस्था में अपने वृद्ध पिता को उपचार दिलाने के पश्चात् थाने पहुँचा था, ऐसी अवस्था में उसके द्वारा समस्त उपस्थित पारिवारिक सदस्यों के नाम गणना कर अभिलिखित कराया जाना अस्वाभाविक नहीं है।

34. जहाँ तक विवेचक पी.डब्लू.–7 के इस कथन का प्रश्न है कि "विनीता इस घटना की चक्षुदर्शी साक्षी नहीं थी" – तत्सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि यह विवेचक का अभिमत है, तथ्य का कथन नहीं। विवेचक घटना का चक्षुदर्शी नहीं था तथा साक्षी की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के विषय में उसका निष्कर्ष न्यायालय पर आबद्धकर नहीं है। साक्षी की विश्वसनीयता का निर्धारण न्यायालय का अनन्य कार्य है। पुनः, यह अत्यन्त सारवान है कि स्वयं विवेचक पी.डब्लू.–7 के द्वारा अपने साक्ष्य में यह अभिकथित किया गया है कि दिनांक 13–02–2024 को सी.डी. संख्या 16 में विवेचना करते हुए उसके द्वारा "वादी की बहन विनीता का बयान अंकित किया" – अर्थात् पी.डब्लू.–4 विनीता का कथन विवेचना के दौरान ही अंकित किया गया था तथा यह साक्षी विचारण के स्तर पर प्रथम बार प्रकट नहीं हुई है। ऐसी दशा में उसे "नवोदित" (belated/planted) साक्षी भी नहीं कहा जा सकता है।

35. केस डायरी पर पर्चा संख्या 16 में साक्षी विनीता का बयान स्वयं विवेचक के द्वारा अंकित किया गया है तथा उसके द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. कथन किये गये हैं कि– ''दिनांक 22.12.23 को सुबह करीब 8.00 बजे मैं अपने घर के अन्दर काम कर रही थी मेरा भाई व मेरी माता जी भी घर के अन्दर थे तथा पिताजी घर के बाहर पड़ी झोपडी में लेटे हुये थे तभी बाहर शोर शराबा व धमाके की आवाज सुनी तभी मेरे भाई व माता जी घर से बाहर निकल कर भागे पीछे से में भी पहुंच गयी तो देखा कि मेरे पिताजी बाबूराम के कन्धे में गोली लगी है तथा किताब सिह पुत्र रामपाल के हाथ में तमंचा है उसके साथ में उसका चाचा रामनिवास भी था हमे देखकर इसने भी फायर किया जो किसी को नहीं लगा फिर ये दोनों लोग वहॉ से गाली देते हुये भाग गये थे तब मेरे भाई ने थाने में सूचना दी तथा मेरे पिताजी को चिकित्सा उपचार हेतु अस्पताल थे साहब हमारा विवाद घटना से एक दिन खेत की मेढ को लेकर किताब सिंह व रामनिवास से हुआ था यही मेरा बयान है।''

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विधि व्यवस्था Shivaji Sahebrao Bobade & Anr vs State Of Maharashtra, 1973 AIR 2622 में अभिमत प्रदान किया गया है कि:- "Even if the case against the accused hangs on the evidence of a single eye-witness it may be enough to sustain the, conviction given sterling testimony of a competent, honest man, although as a rule of prudence courts call for corroboration."

उक्त विधि व्यवस्था के आलोक में पी.डब्लू.–4 विनीता के साक्ष्य को देखे जाने पर–

36. साक्षी पी.डब्लू.–4 विनीता के द्वारा न्यायालय में दिया गया साक्ष्य उसके द्वारा विवेचक को दिये गये बयान अंतर्गत 161 दं.प्र.सं. से पूर्णतः संगत है। इस साक्षी के द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षा में भी अपने कथन पर दृढ़ता से स्थिर रहा गया है। इस साक्षी का साक्ष्य शेष साक्षीगण के निम्नलिखित साक्ष्य से पुष्ट होता है – पी. डब्लू.–2 एवं पी.डब्लू.–3 की यह स्वीकारोक्ति कि मजरूब घर के बाहर चारपाई / झोपड़ी में लेटा था, पी.डब्लू.–2 की यह स्वीकारोक्ति कि दो व्यक्ति थे, दोनों के पास एक–एक तमंचा था, पी.डब्लू.–3 की यह स्वीकारोक्ति कि उसके बेटे के द्वारा लिखवायी गयी रिपोर्ट सही लिखवायी गयी थी, तीनों साक्षीगण के द्वारा घटना की स्वीकृत, घटना के बताये गये हेतुक, तथा उपहति विषयक चिकित्सीय साक्ष्य से पी.डब्लू.–4 विनीता के द्वारा न्यायालय में दिया गया साक्ष्य पूर्णतः सम्पुष्ट होता है।

समग्रता में देखे जाने पर चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्लू.–4 विनीता के आरम्भ से अंत तक एकरूप व स्थिर साक्ष्य, साक्षीगण पी.डब्लू.–1, पी.डब्लू.2, पी.डब्लू.–3 के द्वारा दिये गये अभियोजन कथानक से संगत साक्ष्य व चिकित्सीय साक्ष्य से अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण किताब सिंह पुत्र रामपाल एवं रामनिवास पुत्र हेतराम, निवासीगण ग्राम नगला टिकुरी, थाना सिकन्दरपुर वैश्य, जनपद कासगंज के द्वारा दिनांक 22–12–2023 को समय लगभग 08:00 बजे प्रातः, ग्राम नगला टिकुरी में, मजरूब बाबूराम पुत्र परमेश्वरी के ऊपर सामान्य आशय के अग्रसरण में अवैध तमंचों से जान से मारने की नीयत से फायर कर, ऐसे ज्ञान एवं ऐसी परिस्थितियों में उपहति कारित की गयी कि यदि वे उस कृत्य से मृत्यु कारित कर देते तो हत्या के दोषी होते।

37. जहॉ तक पत्रावली पर विद्यमान अभियुक्तगण किताब सिंह एवं रामनिवास से घटना में प्रयुक्त तमंचों की बरामदगी विषयक साक्ष्य का प्रश्न है–

अभियुक्त रामनिवास के सम्बन्ध में पी.डब्लू.–7 उपनिरीक्षक हरजीत सिंह के द्वारा अभिकथित किया गया है कि घटना के अगले ही दिन दिनांक 23–12–2023 को समय 11:10 बजे मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त रामनिवास को नगला घनी गौड़ के पास कादरचौक गंजडुण्डवारा रोड से हमराहियान कां. प्रवीन चौधरी एवं हे.कां. अजय कुमार के साथ पकड़ा गया, जिसकी जामा तलाशी में दाहिने फेंट से एक देशी तमंचा 315 बोर, जिसकी नाल में एक खोखा कारतूस 315 बोर फँसा हुआ था, बरामद हुआ, मौके पर ही सील–सर्व मोहर तैयार किया गया, फर्द बरामदगी प्रदर्श क–10, गिरफ्तारी मेमो प्रदर्श क–8 एवं चेकलिस्ट प्रदर्श क–9 सिद्ध किये गये हैं, माल मुकदमा वस्तु प्रदर्श–1 (सीलबन्द कपड़ा), वस्तु प्रदर्श–2 (तमंचा 315 बोर) एवं वस्तु प्रदर्श–3 (खोखा कारतूस) के रूप में न्यायालय में खोलकर प्रदर्शित किये गये।

घटना के लगभग 27 घण्टे के भीतर अभियुक्त रामनिवास के कब्जे से ऐसे तमंचे का बरामद होना, जिसकी नाल में चला हुआ खोखा कारतूस फँसा हुआ था, अत्यन्त सारवान दोषारोपक परिस्थिति (incriminating circumstance) है। यह परिस्थिति अभियोजन कथानक की– कि रामनिवास के द्वारा तमंचे से फायर किया गया था– प्रबल पुष्टि करती है।

38. अभियुक्त किताब सिंह के सम्बन्ध में पी.डब्लू.–7 के द्वारा अभिकथित किया गया है कि अभियुक्त के द्वारा दिनांक 23–01–2024 को कारागार में अंकित कराये गये कथन में यह प्रकट किया गया कि घटना में प्रयुक्त तमंचा उसने कादरगंज गंगा पुल के पास कादरचौक की तरफ जाने वाले रास्ते पर खड़ी पतेल झाड़ियों में फेंक दिया था तथा वह उक्त तमंचा चलकर बरामद करा सकता है, तद्नुसार माननीय न्यायालय की अनुमति एवं पुलिस अभिरक्षा प्राप्त कर दिनांक 31–01–2024 को अभियुक्त किताब सिंह को गंगा पुल पार खादर चौक की तरफ पतैल झाड़ी के पास ले जाया गया, जहाँ अभियुक्त के द्वारा स्वयं झाड़ियों में से एक अदद तमंचा 315 बोर निकालकर दिया गया, फर्द बरामदगी प्रदर्श क–12 एवं बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क–13 सिद्ध किये गये हैं तथा माल मुकदमा वस्तु प्रदर्श–4 एवं वस्तु प्रदर्श–5 के रूप में न्यायालय में प्रदर्शित किया गया।

39. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अभियुक्त के द्वारा दी गयी सूचना का वह भाग, जो प्रकट किये गये तथ्य (fact discovered) से सुभिन्न रूप से सम्बन्धित है, ग्राह्य है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रकट किया गया तथ्य यह है कि एक तमंचा एक विशिष्ट स्थल– गंगा पुल पार कादरचौक की ओर पतेल झाड़ियों– में छिपाकर रखा गया था, जिसका विशिष्ट ज्ञान अभियुक्त किताब सिंह को था। यहाँ यह अत्यन्त उल्लेखनीय है कि पी.डब्लू.–7 के द्वारा प्रतिपरीक्षा में स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि "अभियुक्त किताब सिंह को साथ ले जाने से पूर्व भी वह इस स्थान पर तमंचे की तलाश में गया था" तथा उस समय "उसे तमंचा बरामद नहीं हुआ"। विवेचक का यह कथन धारा 27 के अन्तर्गत प्रकटीकरण के तत्व को सुदृढ़ करता है– क्योंकि इससे यह प्रदर्शित होता है कि आयुध का सुनिश्चित स्थल अभियुक्त की निशानदेही के बिना विवेचक को ज्ञात नहीं था तथा अभियुक्त की विशिष्ट जानकारी के आधार पर ही उसकी खोज सम्भव हुई।

40. बचावपक्ष का तर्क है कि बरामदगी के समय कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी उपस्थित नहीं था तत्सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विधि व्यवस्था Kulwinder Singh v. State of Punjab, (2015) 6 SCC 674 में अभिमत प्रदान किया गया है कि:-

"That apart, the case of the prosecution cannot be rejected solely on the ground that independent witnesses have not been examined when, on the perusal of the evidence on record the Court finds that the case put forth by the prosecution is trustworthy- When the evidence of the official witnesses is trustworthy and credible, there is no reason not to rest the conviction on the basis of their evidence… At any rate, the court cannot start with the presumption that the police records are

untrustworthy. As a proposition of law the presumption should be the other way around."

इसी प्रकार का अभिमत Mohd. Naushad v. State (NCT of Delhi), 2023 SCC OnLine SC 784 में भी प्रदान किया गया है। अर्थात् पुलिस साक्षीगण का साक्ष्य उतना ही विश्वसनीय एवं ग्राह्य है जितना स्वतन्त्र साक्षीगण का साक्ष्य, तथा मात्र स्वतन्त्र साक्षी के अभाव में बरामदगी सन्देहास्पद नहीं हो जाती। ऐसी दशा में प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि अभियुक्त रामनिवास के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस तथा अभियुक्त किताब सिंह के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर बिना किसी विधिमान्य लाइसेन्स के बरामद हुआ।

41. धारा 504 भा.दं.सं. के अन्तर्गत अपराध के गठन हेतु यह आवश्यक है कि (क) अभियुक्त के द्वारा किसी व्यक्ति का साशय अपमान किया गया हो, (ख) उससे उस व्यक्ति को प्रकोपित किया गया हो, तथा (ग) अभियुक्त को यह आशय अथवा ज्ञान रहा हो कि ऐसे प्रकोपन से वह व्यक्ति लोक शान्ति भंग करेगा अथवा अन्य अपराध कारित करेगा।

42. प्रस्तुत प्रकरण में यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1 में "गाली देते हुए भाग गये" का उल्लेख है, तथापि अभियोजन पक्ष के द्वारा परीक्षित किसी भी साक्षी के द्वारा अपने कथन में उन विशिष्ट अपशब्दों का उल्लेख नहीं किया गया है जो अभियुक्तगण के द्वारा प्रयुक्त किये गये हों, और न ही यह सिद्ध किया गया है कि उक्त अपमान इस आशय अथवा ज्ञान से किया गया कि ऐसे प्रकोपन से लोक शान्ति भंग होगी। ऐसी दशा में धारा 504 भा.दं.सं. के आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं हो सके हैं।

43. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत मौखिक, चिकित्सीय, एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य से युक्ति–युक्त सन्देह से परे यह प्रमाणित है कि अभियुक्तगण किताब सिंह पुत्र रामपाल एवं रामनिवास पुत्र हेतराम, निवासीगण ग्राम नगला टिकुरी, थाना सिकन्दरपुर वैश्य, जनपद कासगंज के द्वारा दिनांक 22–12–2023 को समय लगभग 08:00 बजे प्रातः, ग्राम नगला टिकुरी में, मजरूब बाबूराम पुत्र परमेश्वरी के ऊपर सामान्य आशय के अग्रसरण में अवैध तमंचों से जान से मारने की नीयत से फायर कर, ऐसे ज्ञान एवं ऐसी परिस्थितियों में उपहति कारित की गयी कि यदि वे उस कृत्य से मृत्यु कारित कर देते तो हत्या के दोषी होते।

44. पुनः अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह भी युक्ति–युक्त सन्देह से परे प्रमाणित है कि अभियुक्त रामनिवास के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस तथा अभियुक्त किताब सिंह के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर बिना किसी विधिमान्य लाइसेन्स के बरामद हुआ।

45. तथापि, अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध युक्ति–युक्त सन्देह से परे प्रमाणित नहीं हो सका है।

46. ऐसी दशा में अभियुक्तगण किताब सिंह एवं रामनिवास, सत्र वाद संख्या– 567/2024, मुकदमा अपराध संख्या– 185/2023, अन्तर्गत धारा 307/34 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/25 आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं तथा अन्तर्गत धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

47. अभियुक्तगण किताब सिंह पुत्र रामपाल एवं रामनिवास पुत्र हेतराम, निवासीगण ग्राम नगला टिकुरी, थाना सिकन्दरपुर वैश्य, जनपद कासगंज को सत्र वाद संख्या– 567/2024, मुकदमा अपराध संख्या– 185/2023, के अन्तर्गत धारा 307/34 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।

48. अभियुक्तगण किताब सिंह एवं रामनिवास को सत्र वाद संख्या– 567/2024, मुकदमा अपराध संख्य–185/2023, के अन्तर्गत धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

49. अभियुक्तगण किताब सिंह एवं रामनिवास जमानत पर उपस्थित हैं। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है, उनके बन्धपत्र निरस्त कर, जामिनानों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण के वारण्ट बनाकर जिला कारागार प्रेषित किया जाये।

50. दोषसिद्ध अभियुक्तगण किताब सिंह एवं रामनिवास जिला कारागार से दण्ड के बिन्दु पर सुने जाने हेतु दिनांक 12.08.2026 को आहूत हों।

दिनांक– 11.08.2026

(अनुतोष कुमार शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या–1, कासगंज

दिनांक– 12.08.2026

51. पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हुई। दोषसिद्ध अभियुक्तगण किताब सिंह एवं रामनिवास न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

52. अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान ए.डी.जी.सी. दाण्डिक एवं दोषसिद्ध अभियुक्तगण तथा उनकी ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को विस्तृत रूप से सुना।

53. अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक की ओर से तर्क प्रस्तुत किये गये कि अभियुक्तगण के द्वारा एक निरीह एवं वृद्ध व्यक्ति पर, जो अपने ही घर के बाहर चारपाई पर लेटा हुआ था, अवैध अग्न्यायुधों से जान से मारने की नीयत से फायर किये गये, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हुआ तथा उसकी हसली की हड्डी टूट गयी। अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण को कठोरतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

54. बचावपक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। अभियुक्तगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सजा के बिन्दु पर सुना गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कथन किये गये कि अभियुक्तगण का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा विचारण में उनके द्वारा पूर्ण सहयोग किया गया है। ऐसी दशा में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अभियुक्तगण को कम से कम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी।

55. उभयपक्षों को दण्ड के बिन्दु पर सुने जाने के उपरान्त न्यायालय का यह मत है कि दोषसिद्ध अभियुक्तगण किताब सिंह एवं रामनिवास प्रत्येक को सत्र वाद संख्या– 567/2024, मुकदमा अपराध संख्या– 185/2023 के अन्तर्गत धारा 307/34 भा.दं.सं. में दण्डनीय अपराध के लिये 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/– रुपये (दस हजार रुपये) के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 2 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास एवं अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम में दण्डनीय अपराध के लिये 5 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5,000/– रुपये (पाँच हजार रुपये) के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>दण्डादेश</u>

उपरोक्तानुसार, दोषसिद्ध अभियुक्तगण –

56. किताब सिंह पुत्र रामपाल, निवासी ग्राम नगला टिकुरी, थाना सिकन्दरपुर वैश्य, जनपद कासगंज को सत्र वाद संख्या–567/2024, मुकदमा अपराध संख्या–185/2023 के अन्तर्गत धारा 307/34 भा.दं.सं. में दण्डनीय अपराध के लिये 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/– रुपये (दस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा एवं अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम में दण्डनीय अपराध के लिये 5 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5,000/– रुपये (पाँच हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

57. रामनिवास पुत्र हेतराम, निवासी ग्राम नगला टिकुरी, थाना सिकन्दरपुर वैश्य, जनपद कासगंज को सत्र वाद संख्या– 567/2024, मुकदमा अपराध संख्या– 185/2023 के अन्तर्गत धारा 307/34 भा.दं.सं. में दण्डनीय अपराध के लिये 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/– रुपये (दस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से

दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा एवं अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम में दण्डनीय अपराध के लिये 5 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5,000/– रुपये (पाँच हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

58. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 365 के अन्तर्गत निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज को भेजी जावे।

59. दोषसिद्ध अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा जेल में बितायी गयी पूर्व अवधि धारा 428 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत दण्डादेश में समायोजित की जायेगी तथा सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी।

60. न्यायालय के सत्र लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णय की एक प्रति जरिये ई–मेल व एक प्रति सीधे तौर पर जेल अधीक्षक, जिला कारागार, कासगंज को प्रेषित करे।

61. दोषसिद्ध अभियुक्तगण प्रत्येक को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे तथा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे निःशुल्क विधिक सहायता कार्यक्रम के माध्यम से अपील के अधिकार से अवगत कराया जावे।

62. माल मुकदमा अपील अवधि व्यतीत होने अथवा अपील के निस्तारण के पश्चात् नियमानुसार विनष्ट किये जायें।

63. प्रस्तुत मामले में साक्षी पी.डब्लू. 1 रामवीर, पी.डब्लू.–2 बाबूराम एवं पी.डब्लू.–3 ओमवती ने न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक एवं विवेचक को दिये अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता से विपरीत कथन किये हैं। अतः उपरोक्त साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक के विपरीत न्यायालय के समक्ष जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य देने के बावत उनके विरुद्ध अंतर्गत धारा 344 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पृथक रूप से आपराधिक प्रकीर्ण वाद पंजीकृत हो तथा उक्त साक्षीगण के विरुद्ध नोटिस जारी हों।

64. दोषसिद्धगण के सजायाबी अधिपत्र बनाकर जिला कारागार, कासगंज प्रेषित किये जायें। उपरोक्त अपेक्षित अनुपालन के बाद पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक– 12.08.2026

(अनुतोष कुमार शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या–1, कासगंज।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक–12.08.2026

(अनुतोष कुमार शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या–1, कासगंज।

आशुलिपिक–रजनी कान्त